

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2022—चैत्र 25, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2022

क्र. एफ 5-04-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-96-(दो-1-26/2021), दिनांक 29 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2021 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के

ज्ञापन क्रमांक फ. क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. एफ 5-05-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-778-(दो-1-27/2021), दिनांक 29 जनवरी

2022 के अनुक्रम में, दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2021 तक के आकस्मिक/शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, अवर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

पंजी क्र. 837-2022-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, डिप्टी रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT), केन्द्रीय जोन भोपाल (CZB), भोपाल के पद पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निमिश राजा की पदस्थापना 10वें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी के रिक्त न्यायालय, भोपाल में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 1425-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1-क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य शासन, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के परामर्श से एतद्वारा श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, न्यायिक सदस्य को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में उपाध्यक्ष के रूप में दिनांक 5 अप्रैल 2022 से पदाभिहित करता है।

F. No. 1425-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government in consultation with the Chairman Madhya Pradesh Arbitration Tribunal, hereby designate Shri S.K.P. Kulkarni, Judicial Member of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal as Vice-Chairman from 5th April 2022.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

फा. क्र. 936-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी, सुश्री आभा गवली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अंजड़, जिला बड़वानी का व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के पद से त्याग-पत्र दिनांक 16 मार्च 2022 के दोपहर पूर्व से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2022

पंजी क्र. 932-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में उप-कल्याण आयुक्त के पद पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमित निगम का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

फा.क्रमांक 832/2022/21-ब(एक), यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून, 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

और यतः पूर्वोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा।

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

### सारणी

अनुक्रमांक	जिला	चिकित्सालयों का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	इंदौर	तथास्तु सुपर स्पेशियलिटी डेन्टल क्लिनिक, विद्याराज एनेक्स, एस.बी.आई. के ऊपर, ए0बी0मेन रोड, विजय नगर, सत्य साई चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश
2.	शाजापुर	जश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, सिटी सेन्टर, गांधी पार्क के पास, शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

F.No.732/2022/21-B(1) Whereas in compliance of the order dated 21<sup>st</sup> February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5<sup>th</sup> June, 2006 of the State Council, the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15<sup>th</sup> June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

And whereas, Para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15<sup>th</sup> June, 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members;

Now, therefore, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard, the State Government, in consultation with the Director, Health Services, Madhya Pradesh, hereby, notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members, namely :-

TABLE

S.No.	District	Name of Hospitals
(1)	(2)	(3)
1.	Indore	Tathastu Super Speciality Dental Clinic Vidhyaraj Annex, Above SBI Bank A.B. Main Road, Vijay Nagar, Near Satya Sai Square, Indore, Madhya Pradesh
2.	Shajapur	Jash Hospital and Research Centre, City Centre, Near Gandhi Park, Shujalpur District Shajapur, Madhya Pradesh

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

पंजी.कमांक 945/2022/21-ब(एक) राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शाय गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-

क्रं.	नाम तथा पद	नवीन पद स्थापना
1	श्री ललित किशोर, विशेष न्यायाधीश, एस. सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	रजिस्ट्रार (विजिलेन्स), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के रिक्त पद पर
2	श्री कपिल कुमार मेहता, रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर
3	श्री पदमेश शाह, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खरगौन जिला मण्डलेश्वर	अपर संचालक, M.P.S.J.A., जबलपुर के रिक्त पद पर
4	श्री जोगिन्दर सिंह, 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर
5	श्री संदीप शर्मा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर
6	श्री रूपम वेदी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर
7	श्री समरेश सिंह, पांचवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर
8	श्री मनीष शर्मा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बीजावर जिला छतरपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर

फा.क्रमांक 946/2022/21-ब(एक) राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :-

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पद स्थापना
1	श्री मुकेश सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियादाना जिला शिवपुरी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय नं-2, भोपाल में श्रीमती संगीता भारती राठौर के स्थान पर
2	श्रीमती निधी निलेश श्रीवास्तवा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पोहरी जिला शिवपुरी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर में श्री रमाकांत भारके के स्थान पर
3	श्री मयंक कुमार शुक्ला, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इंदौर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर में कुमारी स्वाति बजाज के स्थान पर
4	श्री धीरज कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शुजालपुर जिला शाजापुर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना में श्री पार्थ शंकर मिश्रा के स्थान पर
5	श्री शिव कुमार डावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कुक्षी जिला धार	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिंदवाड़ा में श्री प्रदीप सोनी (जूनियर) के स्थान पर
6	श्री श्रीकृष्णा डागलिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, तराना जिला उज्जैन	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर में रिक्त न्यायालय में

फा.क्रमांक 935/2022/21-ब(एक), राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम-3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है:-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनियर) के स्थान पर।
02	श्री राज्यवर्द्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना की हैसियत से श्री आनंद कुमार तिवारी के स्थान पर।

03	श्रीमती ममता जैन, मेम्बर सेक्रेटरी, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर।
04	श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/ एस0टी0 (पी0ए0), एक्ट एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी के स्थान पर।
05	श्री राजीव आस्टे, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण आयोग, भोपाल	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला की हैसियत से श्री अवधेश कुमार सिंह के स्थान पर।
06	श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/ एस0टी0 (पी0ए0), एक्ट एवं प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतुल के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश।	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री अनिल कुमार सोहाने के स्थान पर।
07	श्रीमती तृप्ति शर्मा, विधिक सलाहकार, आर्थिक अपराध ब्यूरो (ई0ओ0डब्ल्यू0), भोपाल	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
08	श्री प्रियदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, जबलपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की हैसियत से श्री देव नारायण (शुक्ला) के स्थान पर।
09	श्री मोहम्मद मूसा खान, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री पूरन चन्द्र गुप्ता के स्थान पर।
10	श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
11	श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टी मेम्बर (सीनियर), एम0पी0एस0जे0ए0, उच्च न्यायालय, जबलपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

12	कु0 नीता गुप्ता, रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी (एन0एल0आई0यू0), भोपाल	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर की हैसियत से श्री लखन लाल गर्ग के स्थान पर।
13	श्री संजय कुमार पाण्डेय, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इटारसी, होशंगाबाद	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से श्री पदमचन्द्र गुप्ता के स्थान पर।
14	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच की हैसियत से श्री अखिलेश शुक्ला के स्थान पर।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2022

फा0 क्र. 1469/21-ब(दो) राज्य शासन, एतद्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 321/गोपनीय/2022 दो-2-9/97, दिनांक 31.03.2022 द्वारा म.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान करता है:-

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
1.	श्री विकास शर्मा, चौदहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	सिवनी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी की हैसियत से श्री चन्द्र किशोर बरपेटे के स्थान पर।
2.	श्रीमती कविता दीप खरे, पन्द्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	सीधी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर।
3.	श्री उमाशंकर अग्रवाल, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से श्री मनीष सिंह ठाकुर के स्थान पर।
4.	श्री नरेन्द्र पटेल, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री विकास चन्द्र मिश्र के स्थान पर।
5.	श्री गौतम भट्ट, सत्रहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	होशंगाबाद	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद की हैसियत से श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन के स्थान पर।
6.	श्री शिरीष कैलाश शुक्ल, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	मुरैना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना की हैसियत से श्री शरत चन्द्र सक्सेना के स्थान पर।
7.	डॉ. लखन लाल गोस्वामी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अशोकनगर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर की हैसियत से श्री पंकज कुमार वर्मा के स्थान पर।
8.	श्री सचिन कुमार घोष, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना	गुना	धार	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की हैसियत से श्रीमती सईदा विनिता के स्थान पर।
9.	श्री अम्बुज पाण्डेय, नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन	उज्जैन	दमोह	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह की हैसियत से श्री नीरज कुमार शर्मा के स्थान पर।

10.	श्री अभिषेक सिंह, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी	कटनी	सिंगरौली (एच क्यू वैद्वन)	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली (एच क्यू वैद्वन) की हैसियत से श्री सुरेन्द्र मेश्राम के स्थान पर।
11.	श्रीमती निशा विश्वकर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा (छिंदवाडा)	अमरवाड़ा (छिंदवाडा)	शहडोल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल की हैसियत से रिक्त पद पर।
12.	श्री अहमद रज़ा, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दमोह	दमोह	रीवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा की हैसियत से श्री विपिन कुमार लावनिया के स्थान पर।
13.	श्री हर्ष सिंह बहरावत, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना	गुना	मन्दसौर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मन्दसौर की हैसियत से श्री रईस खान के स्थान पर।
14.	श्री दिनेश देवड़ा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	अलीराजपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर की हैसियत से श्री रवि जरोला के स्थान पर।
15.	श्री सूरज सिंह राठौड़, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से श्री हरिओम एटलसिय के स्थान पर।
16.	श्री विनोद कुमार पाटीदार, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	टीकमगढ़	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर।
17.	श्रीमती सविता ओगले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली (रायसेन)	बरेली (रायसेन)	छिंदवाडा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाडा की हैसियत से श्री अरविन्द कुमार के स्थान पर।
18.	श्रीमती संगीता पटेल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली (देवास)	बागली (देवास)	उमरिया	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया की हैसियत से श्री राजेश कुमार तिवारी के स्थान पर।
19.	श्री दारासिंह मंडलोई, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगौन (मण्डलेश्वर)	खरगौन (मण्डलेश्वर)	डिण्डौरी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर।
20.	श्री विजय कुमार सोनकर, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी	कटनी	नीमच	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (जूनियर) के स्थान पर।



21.	श्री दयाराम कुमरे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, आलोट (रतलाम)	आलोट (रतलाम)	मण्डला	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से डॉ. प्रीति श्रीवास्तव के स्थान पर।
22.	श्री अमित सिंह सिसोदिया, अट्ठाइसवें, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	बड़वानी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी की हैसियत से श्री राकेश कुमार सोनी के स्थान पर।
23.	श्री विवेक शुक्ल, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रेहली (सागर)	रेहली (सागर)	अनुपपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुपपुर की हैसियत से श्री भूभाष्कर यादव के स्थान पर।
24.	श्री मनीष भट्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायालय संख्या 6 विद्युत अधिनियम, इन्दौर	इन्दौर	सागर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर।
25.	श्री आसिफ अब्दुल्लाह, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा	रीवा	बालाघाट	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट की हैसियत से श्री आशीष कुमार शुक्ल के स्थान पर।
26.	श्री विवेक बुखारिया, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की हैसियत से श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर) के स्थान पर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

## पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2022

आदेश क्र. 302/233 /2022/32-3-भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (V) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेटलैण्ड नियम 2017 अधिसूचित किये गये हैं।

1. वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 3 (क) अनुसार वेटलैण्ड भोज वेटलैण्ड जो कि एक रामसर साइट है पर वेटलैण्ड नियम 2017 प्रभावशील हैं। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence (ZoI) के आवश्यक – मानचित्र क्र.1, मानचित्र क्र.2 एवं मानचित्र क्र.3 जो इस आदेश के साथ परिशिष्ट अ- पर संलग्न है का अनुमोदन राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की दिनांक 01 फरवरी 2022 को संपन्न बैठक में किया गया है। इन मानचित्रों के आधार पर वेटलैण्ड नियम 2017 एवं मार्गदर्शिका में उल्लेख अनुसार वेटलैण्ड के भीतर एवं वेटलैण्ड बाउण्ड्री से 50 मी. की सीमा एवं इसके ZoI में Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों के निर्धारण के संबंध में भी अनुशंसा की गयी है।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड की Full Tank Level (FTL) बाउण्ड्री एवं उससे 50 मी. की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र एवं ZoI को दर्शानेवाले मानचित्र क्र. 1, 2 एवं 3 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त मानचित्रों के आधार पर भोज वेटलैण्ड का FTL पर क्षेत्रफल 3946.33 ha. (बड़ा तालाब 3872.43 ha. + छोटा तालाब 73.90 ha.) निर्धारित हुआ है की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. भोज वेटलैण्ड एवं इसके ZoI में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोलांस नदी एवं उनसे मिलने वाले नदी नालों (Major & Minor Streams) की दूरियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं -
  - i. शहरी क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 50मी.का बफर – मानचित्र क्र.1
  - ii. ग्रामीण क्षेत्र की ओर BWL के FTL के आसपास 250मी.बफर– मानचित्र क्र. 2
  - iii. कोलांस नदी के आसपास 250मी.बफर – मानचित्र क्र.3
  - iv. कैचमेंट प्रमुख स्ट्रीम के आसपास 50मी.बफर – मानचित्र क्र.3
  - v. कैचमेंट के माइनर स्ट्रीम के आसपास 09मी.बफर – मानचित्र क्र.3
4. वेटलैण्ड के अन्दर, FTL से 50 मी. की दूरी में एवं ZoI में Prohibited, Regulated & Permitted गतिविधियों को निम्नानुसार प्रभावी किया जाता है -
 

**A. प्रतिबंधित गतिविधियां (Prohibited Activities)**

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके ZoI में Prohibited गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। भोज वेटलैण्ड के Full Tank level (FTL) से 50 मी. तक निर्माण व अन्य गतिविधियां निम्नानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित की जाती हैं –

i. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;	i. किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर वेटलैण्ड उपयोग हेतु परिवर्तन
ii. Setting up of any industry and expansion of existing industries;	ii. किसी भी उद्योग को स्थापित करना एवं विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना
iii. Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered	iii. निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण

<p>under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;</p> <p>iv. Solid waste dumping;</p> <p>v. Discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;</p> <p>vi. Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres (50) from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,</p> <p>vii. Poaching.</p>	<p>और अपशिष्ट का विनिर्माण या निपटान, परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात निर्माण नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात, और भण्डारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, और सीमा पार संचालन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ, ई- अपशिष्ट, (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले ई- अपशिष्ट</p> <p>iv. ठोस अपशिष्ट का निष्पादन ;</p> <p>v. उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों, से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्त्रावों का निष्पादन</p> <p>vi. किसी भी स्थायी प्रकृति का निर्माण सिवाय नाव घाटों के, तालाब के 50 मीटर के भीतर प्रतिबंधित रहेंगे।</p> <p>vii. अवैध शिकार</p>
--	---

### B. विनियमित गतिविधियां (Regulated Activities)-

नगर निगम, भोपाल द्वारा भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence में मलजल उपचार संयंत्र / सीवेज पंप हाउस (STP/SPH) स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को विनियमित गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके ZoI में Regulated गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है -

<p>i. Subsistence level biomass harvesting (including traditional practices);</p> <p>ii. Sustainable culture fisheries practices (in private lands);</p> <p>iii. Plying of non-motorized boats;</p> <p>iv. Desilting, in case where wetlands inflow regimes and water-holding capacity are impacted by siltation (note that 'deepening' activities are not the same as 'desilting'); &amp;</p> <p>v. Construction of temporary nature</p> <p>vi. Construction of STP/SPH by Municipal Corporation, Bhopal</p>	<p>i. जीवन निर्वाह योग्य मात्रा में बायोमास निकालना (परंपरागत तरीकों सहित)</p> <p>ii. संधारित मछलीपालन</p> <p>iii. गैर - मोटर चालित नावों का संचालन</p> <p>iv. डीसिल्टिंग-डिवीडिंग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वेटलैण्ड के जल स्रोत एवं जल ग्रहण क्षमता में कोई प्रभाव न हो (नोट-तालाब गहरीकरण एवं डीसिल्टिंग दो अलग-अलग क्रियाकलाप हैं)।</p> <p>v. अस्थायी प्रकृति के निर्माण।</p> <p>vi. नगर निगम, भोपाल द्वारा मलजल उपचार संयंत्र/सिवेज पम्प हाउस का निर्माण।</p>
---	---

### C. अनुज्ञात गतिविधियां (Permitted Activities)-

वेटलैण्ड नियम 2017 का पालन सुनिश्चित करने हेतु भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zol में Permitted गतिविधियों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

<p>भारत सरकार द्वारा जारी वेटलैण्ड नियम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (15-क्र .पृ) 2020 अनुसार ऐसी गतिविधियां जिनके कारण वेटलैण्ड के Wise Use की परिकल्पना साकार होती है, वेटलैण्ड एवं Zol में Permit की जा सकती हैं। उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां भोज वेटलैण्ड और उसके Zol में Permitted Activities की श्रेणी में होंगी –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ecological rehabilitation and rewilding of nature;</li> <li>Wetlands inventory, assessment and monitoring;</li> <li>Research;</li> <li>Communication, environmental education and participation activities;</li> <li>Management planning;</li> <li>Habitat management and conservation of wetland-dependent species;</li> <li>Community-based ecotourism (with minimum construction activities);</li> <li>Harvesting of wetlands products within regenerative capacity; and,</li> <li>Integrating wetlands as nature-based solutions for climate change mitigation and adaptation.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पारिस्थितिक पुनर्वास एवं प्रकृति का पुनर्निर्माण</li> <li>वेटलैण्ड इंवेन्ट्री मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग</li> <li>शोध कार्य</li> <li>संप्रेषण, पर्यावरण शिक्षा और जन-भागीदारी कार्यक्रम</li> <li>प्रबंधन नियोजन</li> <li>वेटलैण्ड आधारित पक्षियों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक रहवास का प्रबंधन</li> <li>समुदाय आधारित ईको-टूरिज्म (कम से कम निर्माण गतिविधियां सहित)</li> <li>पुनर्योजी क्षमता अनुसार वेटलैण्ड के प्राकृतिक उत्पादों का संतुलित दोहन</li> <li>जलवायु परिवर्तन समस्या के निदान के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित अनुकूलन एवं शमन हेतु वेटलैण्ड का एकीकरण</li> </ol>
---	---

भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत मानचित्र, प्रतिबंधित गतिविधियां, विनियमित गतिविधियां एवं अनुज्ञात गतिविधियों के संबंध में प्रशासकीय आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्रमांक. एफ-3-89/2021/18-5 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकन नागदा विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक ए 227, वी.बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र.।
3. कलेक्टर, जिला उज्जैन म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नागदा म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन म.प्र.।

## अनुसूची

1. नागदा विकास योजना, (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.3 में प्रस्तावित उपांतरण।

क्रमांक	ग्राम एवं सर्वे नं.	प्रारूप 2035 में प्रस्तावित उपयोग	धारा 19(2) के तहत प्रस्तावित उपांतरण
1	2	3	4
1	ग्राम नागदा सर्वे नं. 345, 355, 356, 357, 358, 359 एवं 360	आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
2	ग्राम पाडल्याकला, सर्वे नंबर 1456/2	वाणिज्यिक एवं आमोद-प्रमोद	विकास योजना प्रारूप 2035 में निर्धारित आमोद-प्रमोद के स्थान पर वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक के स्थान पर आमोद-प्रमोद।

2. नागदा विकास योजना प्रारूप 2035 पुस्तक में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव
  - 2.1 अध्याय 3 की कण्डिका 3.13.8 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कण्डिका अंतः स्थापित की जाना प्रस्तावित है।

## 3.13.9 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. (Liquefied Petroleum Gas) गैस सिलेण्डरों, सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas) गैस सिलेण्डरों एवं सी.एन.जी. गैस

पाईप लाईन द्वारा गैस की सप्लाई की जाती है। विकास योजना, 2035 की कालावधि तक सम्पूर्ण क्षेत्र में गैस पाईप लाईन की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

- 2.2 अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5-सा-1 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 4, 10(ब) एवं 11 से 14 के कॉलम क्रमांक 4 में निम्नानुसार मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	मार्गों का नाम	विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
4	चंद्रशेखर आजाद मार्ग	6	12
10	(ब) नाले के आगे	30	30
11	सुभाष मार्ग	6	12
12	पाडलिया मार्ग	9 से 15	18
13	तहसील कार्यालय मार्ग	9 से 12	12
14	कोटा फाटक मार्ग (तहसील कार्यालय से बाईपास तक)	9 से 15	15

- 2.3 अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5-सा-1 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 8 के पश्चात निम्नानुसार क्रमांक में निम्नलिखित मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	मार्गों का नाम	विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1	दुर्गापुरा से मेहतवास तक	9 से 12	12
2	औद्योगिक रिंग रोड से दुर्गापुरा तक	12 से 18	18
3	होटल रांगोली से भीमपुरा रोड (निवेश क्षेत्र सीमा तक)	12 से 18	18

- 2.4 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6-सा-3 के नीचे अंकित टीप-1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

- मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक - 1:1.75
- मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक - 1:2.0

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	10.5 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	16.5 मीटर

2.5 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं / हेतु नियमन की सारणी क्रमांक 6-सा-5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

1	श्रेणी	जनसंख्या	प्रति सुविधा के लिए अनुशासित क्षेत्र (हेक्टर)	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
1	2	3	4	5
	शैक्षणिक भवन	2500-3000	0.08-0.1	12.0
	नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	3000-4000	0.40-0.60	12.0
	प्राथमिक विद्यालय	7500-10000	1.60-2.0	12.0
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	10000-50000	2.0-4.0	18.0
	महाविद्यालय			
	स्वास्थ्य			
	सामान्य चिकित्सालय	80000	4.0	18.0
	हेल्थ सेन्टर	15000	0.08 से 2.0	12.0
	नर्सिंग होम	45000	0.2 से 0.5	12.0
	पालीक्लीनिक	1.5 लाख	0.2 से 0.5	12.0
	पेट क्लीनिक	1.5 लाख	0.2 से 0.5	12.0
	वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है।	प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए 1	0.05 से 0.1	12.0
	संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें			
	उप डाकघर			
	डाक और तार कार्यालय	प्रत्येक 10000 पर 1	100 वर्गमीटर	12.0
	विद्युत उप केन्द्र	प्रत्येक 10000 पर 1	1.0	12.0
	पुलिस चौकी	-	12 X 12 मीटर	12.0
	पुलिस थाना	20000	0.4	12.0
	अग्निशमन केन्द्र	50000	0.8	12.0
		-	0.8	12.0
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें			
	कला विधिके एवं संग्रहालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
	ऑडिटोरियम	2 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	केन्द्रीय पुस्तकालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
	क्लब	1 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय	15000	0.2 से 0.4	12.0
	धार्मिक भवन/धर्मशाला	5000	0.04	12.0
	धार्मिक/आध्यत्मिक केन्द्र	1 से 3 लाख	0.5	12.0
	अन्य			
	दुग्ध वितरण केन्द्र	5000	0.002	12.0
	तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम	3 से 5 लाख	0.5 से 0.6	12.0
	टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल	5 लाख	0.05	12.0
	कब्रिस्तान/श्मशान घाट	1.5 से 2.0	2.0	12.0

नोट:- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है। भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा।

प्रस्तावित उपांतण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,

## सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2022

संशोधित आदेश

क्र. एफ 8-1-2022-26-1 (235).— मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ए 3-32/2021 एक(1) द्वारा श्री शिवकुमार चौबे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग को (मंत्री दर्जा) प्रदान किया गया है।

2/- विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.02.2022 को जारी आदेश राज्य शासन एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

3/- राज्य शासन एतद् द्वारा वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2014/नियम/चार, दिनांक 2 अगस्त, 2014 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग को निम्नानुसार सुविधायें प्रदान करता है :-

क्रमांक (1)	सुविधा का नाम (2)	देय सुविधाएं (3)
1	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	रु. 13,000/-
2	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति
3	वाहन (किराये पर ) (मुख्यालय)	म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/17/2016/नियम/चार, दिनांक 05.11.2016 अनुसार वाहन किराये पर लिया जाएगा। किराये पर लेने के कारण वाहन चालक एवं पेट्रोल पर पृथक से व्यय की आवश्यकता नहीं है। एफ 11/17/2016/नियम/चार, दिनांक 05.11.2016 अनुसार।
4	वाहन चालक	
5	पेट्रोल सीमा	
6	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप
7	निजी. स्टॉफ	निज सहायक—एक (रु. 16335/- प्रतिमाह) निज सहायक—एक(रु.14335/-प्रतिमाह) भृत्य—दो (रु.8800/-प्रतिमाह)
8	दूरभाष पर व्यय सीमा	रु.30000/- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष (किराया छोड़कर)(कार्यालय-1, निवास-1)
9	किराये के आवास की सुविधा	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधे सचिव स्तर के समरूप।

यह आदेश मंत्रि-परिषद द्वारा आयुटम क्रमांक-18, दिनांक 18 जनवरी, 2022 में लिए गये निर्णय के क्रम में जारी किया जाता है।

4/- उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.



**नर्मदा घाटी विकास विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-III, डी, विंग प्रथम तल, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ-31-07/2014/सत्ताईस-एक-राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा-(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई सारणी के कॉलम-5 में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिए सारणी के कॉलम-2 में यथाविनिर्दिष्ट सिंचाई प्रणाली के लिए कॉलम-3 तथा 4 में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात :-

**सारणी**

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्रामों की संख्या	विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
<b>जिला खरगोन</b>					
1	इंदिरा सागर परियोजना समूह-V के अंतर्गत खरगोन उद्वहन सिंचाई परियोजना (द्वितीय एवं तृतीय चरण)	65	14395	08	96
	<b>महायोग</b>	65	14395	08	96

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा सोलंकी, उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्रमांक-एफ-25-37/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22°13'25.968" से N-22°13'36.614 तथा E-79°17'5.180" से E-79°17'27.689" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - छिंदवाड़ा

वनमंडल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

तहसील - अमरवाड़ा

वन परिक्षेत्र - चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
3.	केकड़ा 'सी'	केकड़ा	पहाड़ चटटान	870/1क	3.921	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			छोटे झाड़ का जंगल	870/1ग	0.040	
			छोटे झाड़ का जंगल	870/1च	0.405	
			छोटे झाड़ का जंगल	871/1ज	0.089	
			छोटे झाड़ का जंगल	870/1ट	0.522	
			छोटे झाड़ का जंगल	870/1ड	0.210	
			छोटे झाड़ का जंगल	871	0.077	
			छोटे झाड़ का जंगल	873	0.809	
			योग-		6.073	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC032/2015/BHO/557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36.288 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.073 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/47/अ-19(3)/2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

## 2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्र. एफ-25-37-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-37-2019-दस-3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th March 2022

**No.-F-25-37/2019/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-22<sup>0</sup>13'25.968" to N-22<sup>0</sup>13'36.614" North Latitude &

E-79°17'5.180" to E-79°17'27.689" East Longitude.

### SCHEDULE

**District : - Chhindwara**

**Tahsil : - Amarwara**

**Forest Division : - East Chhindwara Division (T)**

**Forest Range : - Chourai**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
3	Kekra 'C'	Kekra	Pahad / Chattan	870/1k	3.921	North- Artificial forest boundary from Piller No 08 to 10 of Protected Forest Block. East- Artificial forest boundary from Piller No 10 to 02 of Protected Forest Block. South- Artificial forest boundary from Piller No 02 to 06 of Protected Forest Block. West- Artificial forest boundary from Piller No 06 to 08 of Protected Forest Block.
			Chhote Jhad ka Jungle	870/1ga	0.040	
			Chhote Jhad ka Jungle	870/1ch	0.405	
			Chhote Jhad ka Jungle	871/1jh	0.089	
			Chhote Jhad ka Jungle	870/1ta	0.522	
			Chhote Jhad ka Jungle	tha		
			Chhote Jhad ka Jungle	870/ 1dh	0.210	
			Chhote Jhad ka Jungle	871	0.077	
			Chhote Jhad ka Jungle	873	0.809	
			Total :-		<b>6.073</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No MPC032/2015/BHO/557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer, Water Resource Department, Chhindwara, the above mentioned 48.162 hectares Revenue Forest Land was made available and out of the above land 4.553 hectare was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No 47/A-19(3)/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

## 2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Certified report of Tahsildar Amarwara, District Chhindwara are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्रमांक-एफ-25-39/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22°13'38.111" से N-22°13'55.241" तथा E-79°17'8.510" से E-79°17'23.934" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - छिंदवाड़ा  
वनमंडल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

तहसील - अमरवाड़ा  
वन परिक्षेत्र - चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
1.	केकड़ा 'ए'	केकड़ा	छोटे झाड़ का जंगल	860/3	0.474	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			पहाड़ चटटान	854/1	4.808	
			पहाड़ चटटान	860/1	4.361	
			छोटे झाड़ का जंगल	850/3	0.445	
			छोटे झाड़ का जंगल	850/2	0.769	
			छोटे झाड़ का जंगल	851/3	0.162	
योग-					11.019	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC032/2015/BHO/557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36.288 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर राजस्व वन एवं गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.019 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/47/अ-19(3)/2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्र. एफ-25-39-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-39-2019-दस-3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th March 2022

**No.-F-25-39/2019/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22°13'38.111" to N-22°13'55.241" &

E-79<sup>0</sup>17'8.510" to E-79<sup>0</sup>17'23.934" East Longitude.

**SCHEDULE**

**District : - Chhindwara**

**Tahsil : - Amarwara**

**Forest Division : - East Chhindwara Division (T)**

**Forest Range : - Chourai**

S.N	Name of Forest Block	Name of Village	Details of Land Included			Forest Block Boundaries
			Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Kekra 'A'	Kekra	Chhote Jhad ka Jungle	860/3	0.474	North- Artificial forest boundary from Piller No 14 to 02 of Protected Forest Block. East- Artificial forest boundary from Piller No 02 to 03 of Protected Forest Block. South- Artificial forest boundary from Piller No 03 to 09 of Protected Forest Block. West- Artificial forest boundary from Piller No 09 to 14 of Protected Forest Block.
			Pahad / Chattan	854/1	4.808	
			Pahad / Chattan	860/1	4.361	
			Chhote Jhad ka Jungle	850/3	0.445	
			Chhote Jhad ka Jungle	850/2	0.769	
			Chhote Jhad ka Jungle	851/3	0.162	
Total :-				11.019		

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No MPC032/2015/BHO/557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer, Water Resource Department, Chhindwara, the above mentioned 48.162 hectares Revenue Forest Land was made available and out of the above land 11.019 hectare was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No 47/A-19(3)/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

## 2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्रमांक-25-43/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22°13'13.687" से N-22°13'26.385" तथा E-79°17'4.413" से E-79°17'12.472" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**

जिला- छिंदवाड़ा  
वनमंडल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

तहसील - अमरवाड़ा  
वन परिक्षेत्रा - चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
4.	केकड़ा 'डी'	केकड़ा	पहाड़ चटटान	777	3.116	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग-		3.116	



**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक MPC032/2015/BHO/557 दिनांक 24/08/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संरााधन संभाग छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना मोहगांव सिंचाई परियोजना में दक्षिण वनमंडल की प्रभावित 36288 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 48.162 हेक्टेयर भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.116 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/47/अ-19(3)/2013-14 दिनांक 07.07.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

**2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार**, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्र. एफ-25-43-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-43-2019-दस-3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार**, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th March 2022

**No.-F-25-43/2019/10-3 ::** In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals

or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22°13'13.687" to N-22°13'26.385" & E-79°17'4.413" to E-79°17'12.472" East Longitude.

**SCHEDULE**

**District : - Chhindwara**

**Tahsil : - Amarwara**

**Forest Division : - East Chhindwara Division (T)**

**Forest Range : - Chourai**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
4	Kekra 'D'	Kekra	Pahad / Chattan	770	3.116	<b>North-</b> Artificial forest boundary from Piller No 09 to 01 of Protected Forest Block. <b>East-</b> Artificial forest boundary from Piller No 01 to 04 of Protected Forest Block. <b>South-</b> Artificial forest boundary from Piller No 04 to 07 of Protected Forest Block. <b>West -</b> Artificial forest boundary from Piller No 07 to 09 of Protected Forest Block.
<b>Total :-</b>					<b>3.116</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Government of India's letter No MPC032/2015/BHO/557 dated 24/08/2017 and in lieu of 36.288 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mohagao Tank project of Executive Engineer, Water Resource Department Division, Chhindwara, 48.162 hectare Land was made available and out of the above land 3.116 hectares was transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No 47/A-19(3)/2013-14 dated 07/07/2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

## 2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Amarwara, District Chhindwara are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्रमांक एफ-25-69/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित संरक्षित वनखंड भुसौरा उत्तर अक्षांश N 23° 29' 06.0" से N 23° 29' 47.0" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78° 46' 05.80" Is E 78° 46' 26.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- सागर

वनमंडल का नाम -दक्षिण सागर (सामान्य)

तहसील - केसली

वन परिक्षेत्र - केसली

अ. क	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	भुसौरा उत्तर	भुसौरा	शासकीय भूमि चरनोई	567/1	39.940	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 03 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 07 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क. 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग :-					39.940	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC013/2018-BHO/255 दिनांक 04.06.2018 स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना जमुनिया गौड़ जलाशय लघु सिंचाई परियोजना में प्रभावित 39.940 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 39.940 हे. गैर वनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित भूमि 39.940 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के रा.प्र. क्रमांक-21 अ/19(3) वर्ष 2016-17 दिनांक 17.07.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

**(ख)** उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

**अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार, अपर सचिव.**

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2022

क्र. एफ-25-69-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-69-2019-दस-3, दिनांक 24 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार, अपर सचिव.**

Bhopal, the 24th March 2022

No/F-25-69/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government from time to time. This Proposed Protected Forest Block Bhusora North lies between North Latitude N 23° 29' 06.0" to N 23° 29' 47.0" North Latitude and East Longitude

E 78° 46' 05.80" to E 76° 46' 26.0" East Longitude.

**SCHEDULE**

District- Sagar

Tehsil- Kesli

Forest Division-South Sagar (territorial)

Range- Kesli

S. N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries		
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in Hec.			
1	Bhusora North	Bhusora	Charnoi Govt. land	567/1	39.940	<b>North –</b>	Proposed Forest Block No. 02 to 03	Protected Forest Boundary
						<b>East –</b>	Proposed Forest Block No. 03 to 07	Protected Forest Boundary
						<b>South –</b>	Proposed Forest Block No.07 to 01	Protected Forest Boundary
						<b>West -</b>	Proposed Forest Block No. 01 to 02	Protected Forest Boundary
				<b>TOTAL</b>	<b>39.940</b>			

**(A) Reason for publication of Notification :-**

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Government of India's letter no. 6-MPC013/2018-BHO/255 Bhopal dated 04-06-2018 and in lieu of 39.940 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jamuniya Gond Minor Tank Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 Sagar Madhya Pradesh, the above mentioned non forest land of 39.940 Hectare mentioned in schedule transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Sagar order no. 21A/19(3) year 2016-17 Dated 17-07-2017 for the purpose of compensatory afforestation.

**(B)** The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per Certificate of Tehsildar Kesli are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्रमांक एफ-25-2/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°45'5.44" से 22°45'17.44" उत्तर अक्षांश तथा 77°27'46.40" से 77°27'53.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला-सीहोर  
वनमंडल-सीहोरतहसील- रेहटी  
वन परिक्षेत्र- रेहटी

क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सलकनपुर	सलकनपुर	वन विभाग	12/2	0.950	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा रेखा।
				12/3	0.420	
				12/4	1.410	
				25/2	2.000	
			25/3	0.324		
कुल योग				05 किता	5.104	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -**

1.(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPB/012/2006-BHO/3589 दिनांक 27.07.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना सीढ़ी एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित 2.950 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 2.950 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.950 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPB/059/2008-BHO/2293 दिनांक 09.09.2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना रोप-वे में प्रभावित 0.420 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 0.420 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.420 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPB/056-BHO/230 दिनांक 10.03.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर की स्वीकृत परियोजना मंदिर में निर्माण कार्य में प्रभावित 1.734 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 1.734 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.734 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में श्री देवीजी मंदिर ट्रस्ट सलकनपुर द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण— निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन क्रं./350/प्रवा/2019 दिनांक 09.09.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(2) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार**, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्र. एफ-25-2-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-2-2022-दस-3, दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार**, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2022

No/F-25-2/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the Provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22<sup>0</sup> 45' 5.44" to 22<sup>0</sup> 45' 17.44" North Latitude and 77<sup>0</sup> 27' 46.40" to 77<sup>0</sup> 27' 53.80" East Longitude.

**SCHEDULE****District- Sehore****Forest Division - Sehore****Tehsil- Rehati****Forest Range- Rehati**

No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Salkanpur	Salkanpur	Forest Department	12/2	0.950	North- Artificial forest boundary line from Munara number 01 to 02 of the proposed protected forest block.	
				12/3	0.420		East- Artificial forest boundary line from Munara number 02 to 05 of the proposed protected forest block.
				12/4	1.410		
				25/2	2.000		South- Artificial forest boundary line from Munara number 05 to 08 of the proposed protected forest block.
25/3	0.324	West- Artificial forest boundary line from Munara number 08 to 01 of the proposed protected forest block.					
			<b>Total</b>		<b>5 Kita</b>	<b>5.104</b>	



(A) Reason for publication of Notification :-

1. (i) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest, govt. of India's order No/6-MPB/012/2006-BHO/3589 dated 27.07.2007 and in lieu of 2.950 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Stair and Approach Road the above mentioned Non Forest Land of 2.950 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation.

(ii) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest, govt. of India's order No/6-MPB/059/2008-BHO/2293 dated 09.09.2008 and in lieu of 0.420 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Rope way, the above mentioned Non Forest Land of 0.420 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation.

(iii) In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest, govt. of India's order No/6-MPB/056-BHO/230 dated 10.03.2016 and in lieu of 1.734 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sri Deviji Trust Salkanpur of Construction work for Shri Deviji Temple, the above mentioned Non Forest Land of 1.734 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Shri Deviji Trust Salkanpur the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No./350/Prava/2019 dated - 09-09-2019 are as under.

(1) Individual Rights :- There are no Individual Rights on the said land.

(2) Community Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्रमांक-एफ-25-44/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22°14'15.008" से N-22°14'26.41" तथा E-79°15'17.33" से E-79°15'31.39" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला - छिंदवाड़ा

तहसील - अमरवाड़ा

वनमंडल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

वन परिक्षेत्र - चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	
1.	बड़ेला 'ए'	बड़ेला	शासकीय भूमि	161	0.684	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				162	0.255	
				163	0.109	
				164/1	0.381	
				164/2	0.248	
				164/3	0.245	
				165/1	1.275	
				166/1	1.356	
			योग-	4.553		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 8-24/2016-FC दिनांक 20/03/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सी.बी.एम. प्रोजेक्ट रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस दोहन परियोजना में प्रभावित 80.850 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 63.054 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.553 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/01/अ-19(4)/2016-17 दिनांक 28.04.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

**2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्र. एफ-25-44-2019-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-44-2019-दस-3, दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2022

No.-F-25-44/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22<sup>0</sup>14'15.008" to N-22<sup>0</sup>14'26.41" &

E-79<sup>0</sup>15'17.33" to E-79<sup>0</sup>15'31.39" East Longitude.

**SCHEDULE**

**District : - Chhindwara**

**Forest Division : - East Chhindwara Division (T)**

**Tahsil : - Amarwara**

**Forest Range : - Chourai**

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Badela 'A'	Badela	Govt. Land	161	0.684	North- Artificial forest boundary from Piller No 03 to 08 of Protected Forest Block.
				162	0.255	
				163	0.109	
				164/1	0.381	
				164/2	0.248	East- Artificial forest boundary from Piller No 08 to 11 of Protected Forest Block.
				164/3	0.245	
				165/1	1.275	
				166/1	1.356	South- Artificial forest boundary from Piller No 11 to 24 of Protected Forest Block.
165/2						
166/2		West - Artificial forest boundary from Piller No 24 to 03 of Protected Forest Block.				
			Total :-		4.553	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 8-24/2016-FC dated 20/03/2017 and in lieu of 80.850 hectare of affected forest land under the sanctioned project of C.B.M Project Reliance Industries Ltd. Shehdol 63.054 Hectare Government land was made available and out of the above land 4.553 hectares was transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 01/A-19(4)/2016-17 dated 28/04/17 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

## 2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्रमांक-एफ-25-74/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड भाग-एक N- 22°4'8.484" से N-22°4'18.465", उत्तर अक्षांश तथा E- 74°26'11.072" से E-74°26'38.038" एवं भाग-दो N- 22°4'19.039" से N- 22°4'21.355" उत्तर अक्षांश तथा E- 74°26'43.575" से E-74°26'57.478" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला :- अलीराजपुर  
वनमंडल :- अलीराजपुर

तहसील :- सोण्डवा  
वनपरिक्षेत्र :- सोण्डवा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	झण्डाना (भाग-1)	झण्डाना	पहाड	7 45	7.068 3.105	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 65 की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 65 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 34 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1	2	3	4	5	6	7
2	झण्डाना (भाग-2)	झण्डाना	पहाड	45	6.827	उत्तर - मुनारा क्र. 64 से 57 की कृत्रिम वन सीमा पूर्व - मुनारा क्रमांक 57 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 56 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 36 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग :-	17.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.NO. 6-MPC 019/2018-BHO/142 दिनांक 07.05.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-16 कुक्षी जिला धार की स्वीकृत परियोजना अलीराजपुर उददवहन सिंचाई में प्रभावित 14.958 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 17.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक/694 /रीडर/2018 दिनांक 15.02.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, सोण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक 8 दिनांकक 08.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।  
(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्र. एफ-25-74-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-74-2019-दस-3, दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2022

No.-F-25-74/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Block (Part-1) lies between N- 22°4'8.484" to N-22°4'18.465", North Latitude and E- 74°26'11.072" to E-74°26'38.038" East Longitude. And This Forest Block (Part-2) lies between N- 22°4'19.039" to N-22°4'.21.355" North Latitude and E- 74°26'43.575" to E-74°26'57.478" East Longitude.

**SCHEDULE**

District – Alirajpur

Tehsil – Sondwa

Forest Division – Alirajpur

Forest Range - Sondwa

Details of Land Included						
S. No.	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	jhandana (Part-1)	jhandana	hill.	7 45	7.068 3.105	North- Artificial forest boundary Pillar No. 1 to 65. East - Artificial forest boundary Pillar No. 65 to 34. South- Artificial forest boundary Pillar No. 34 to 2. West- Artificial forest boundary Pillar No. 2 to 1.

1	2	3	4	5	6	7
2	jhandana (Part-2)	jhandana	hill.	45	6.827	North- Artificial forest boundary Pillar No. 64 to 57. East - Artificial forest boundary Pillar No. 57 to 56. South- Artificial forest boundary Pillar No. 56 to 36. West- Artificial forest boundary Pillar No. 36 to 64.
				<b>Total</b>	<b>17.00</b>	

## (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter F.NO. 6-MPC 019/2018-BHO/142 07-05-2018 dated 07-05-2018 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of ALIRAJPUR LIFT IRRIGATION SCHEME (underground pipeline) of Executive Engineer Narmada Valley Development Authority in Alirajpur. the above mentioned Non Forest Land of 14.958 hectare transferred or mutated in favour of Government of Madhya Pradesh Forest Department by order no. 694 dated 15.02.2018 of Collector Alirajpur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 8 dated 08-01-2016 of Sub Divisional Magistrate, Sondwa (Designation of Competent Revenue Officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.



भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्रमांक/एफ-25-97/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित और वनभूमि जो

1- वनखण्ड 21° 53' 42.318" से 21° 54' 8.008" उत्तर अक्षांश तथा 74° 58' 43.871" से 74° 59' 49.166" पूर्व देशांश,

2- वनखण्ड 21° 54' 2.495" से 21° 54' 21.960" उत्तर अक्षांश तथा 74° 58' 57.260" से 74° 59' 33.319" पूर्व देशांश,

के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (रजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

### अनुसूची

जिला - बड़वानी  
तहसील - बड़वानी

वनमण्डल - बड़वानी  
वन परिक्षेत्र - राजपुर

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्ला क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद्	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	धमौड़ी "अ"	22	धमौड़ी / धमौड़ी "अ" संरक्षित वन खण्ड	-	197/1/1 398/1	5.000 17.000	-	एफ-25-154-2016- वस-3 दिनांक 23-03-2017	07-04-2017	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 01 से पूर्व - 21 तक कृत्रिम वन सीमा, दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 21 से 23 तक कृत्रिम वन सीमा, पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 23 से 35 तक कृत्रिम वन सीमा, 1 तक कृत्रिम वन सीमा,
	योग					22.000				

2	धमौड़ी "ब"	22	धमौड़ी / धमौड़ी "ब" संरक्षित वन खण्ड	- -	376/1 343/1	15.000 15.000	-	एफ-25-154- 2016-दस-3 दिनांक 23-03-2017	07-04-2017	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 01 से 15 तक कृत्रिम वन सीमा, पूर्व - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 15 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा, दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 17 से 26 तक कृत्रिम वन सीमा, पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 26 से 27 एवं 01 तक कृत्रिम वन सीमा,
	योग		कुल योग :-			30.000 52.000				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्र. एफ-25-97-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-97-2017-दस-3, दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2022

No./25-97/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest.

(1) This Forest Block lies between 21°53'42.318" TO 21°54'8.008" North Latitude and 74° 58' 43.871" TO 74° 59' 49.166" East Longitude specified in the.

(2) This Forest Block lies between 21°54'2.495" TO 21°54'21.960" North Latitude and 74° 58' 57.260" TO 74° 59' 33.319" East Longitude specified in the.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

**SCHEDULE**

**District - BARWANI**

**Forest Division - BARWANI**

**Tehsil - BARWANI**

**Forest Range - RAJPUR**

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	Dhamodi "A"	22	Dhamodi / PF Block - Dhamodi "A"	-	197/1/1 398/1	5,000 17,000	-	No. F-25-154-2016-X-3 Date 23-03-2017	07-04-2017	<b>North-</b> Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 21 of Protected Forest Block. <b>East-</b> Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to 23 of Protected Forest Block. <b>South-</b> Artificial Forest Boundary from Pillar No. 23 to 35 of Protected Forest Block. <b>West-</b> Artificial Forest Boundary from Pillar No. 35 to 1 of Protected Forest Block.
	<b>Total</b>					<b>22,000</b>				

2	Dhamodi "B"	22	Dhamodi / PF Block – Dhamodi "B"	- -	376/1 343/1	15.000 15.000	-	No. F-25-154- 2016-X-3 Date 23-03-2017	07-04-2017	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 16 of Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 17 of Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 26 of Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 27 & 01 of Protected Forest Block.
	<b>Total</b>					<b>30.000</b> <b>52.000</b>				
			<b>Grant Total</b>							

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्रमांक-एफ-25-100/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16) की धारा 34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15829-9123-दस-64 दिनांक 22.12.1964 (मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 302.07.1965) द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला- रायसेन  
वनमंडल- औबेदुल्लागंज

तहसील - गौहरगंज  
वनपरिक्षेत्र- चिकलोद

क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम.	वनकक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो संरक्षित वन नहीं रहेगा।	संरक्षित वन नहीं रहने के कारण।	संरक्षित वन नहीं रहने वाले वनक्षेत्र की सीमाएं।
1.	भोजपुर	दीप	पी-776	197.93 हे0	मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र हेतु भारत सरकार के द्वारा पत्र क्रमांक 8-53/2009/एफ. सी. दिनांक 02.09.21 से जारी द्वितीय चरण की अंतिम औपचारिक अनुमति के अनुसार।	उत्तर- एन.एच.12 से पी.डब्लू.डी मेटल्ड रोड तक वनखंड दीप की उत्तरी सीमा लाइन (नवीन मुनारा क्रमांक 01 से नवीन मुनारा क्रमांक 12 तक) पूर्व- पी.डब्लू.डी. मेटल्ड रोड (नवीन मुनारा क्रमांक 12 से नवीन मुनारा क्रमांक 18 तक) दक्षिण- पी.डब्लू.डी. मेटल्ड रोड से एन.एच. 12 तक (नवीन मुनारा क्रमांक 18 से नवीन मुनारा क्रमांक 24 तक) पश्चिम- वनखंड दीप की पश्चिमी सीमा एन.एच. 12 के साथ साथ(नवीन मुनारा क्रमांक 24 से नवीन मुनारा क्रमांक 01 तक)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2022

क्र. एफ-25-100-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-100-2021-दस-3, दिनांक 29 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th March 2022

No.-F-25-100/2021/10-3 :: Is exercise of the power conferred by section 34 (A) of the Indian Forest Act 1927(N0.XVI of 1927) the State Government hereby Declares that the forest area as specified in the schedule below, Which was declared as Protected forest by the Notification No. 15892-9123-X-64 dated 22-12-64 (Madhya Pradesh gazette published date 30-07-1965) of Madhya Pradesh Forest Department, will ceases to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Deptment.

**SCHEDULE**

**District- Raisen**

**Tahsil- Obedullaganj**

**Forest Division- Goharganj**

**Forest Range - Chiklod**

No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Forest cease to be Protected forest (Hectare)	Brief description of reasons for ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhojpur	Deep	PF-776	197.93 hac	As per Government of India letter no. 8-83/2009/FC Dt-02-09-2021 Stage II final approval for Mandideep industrial area	North- Northern Boundary line of Forest Block Deep from NH-12 to PWD mettiled road (new pillar no. 01 to new pillar no. 12) East- PWD metalled road (New pillar no. 12 to new pillar no. 12) South- From PWD metalled road to NH-12 (new pillar no.18 to new pillar no.24) West- Western Boundary of forest block Deep along NH- 12 (new pillar no.24 to new pillar no. 01)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

—————

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 27 जनवरी, 2022

(भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय II एवं III के अंतर्गत)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेड़ा जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/भू.अ./2021-22 म.प्र. शासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15-(1) 2014 सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसंबर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय II ए लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(ए) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(ई) के अनुसार राज्य शासन है। को (धारा 9 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय-तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति हैं, जैसे की रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कें सिंचाई नहरें, विद्युत लाईनें आदि लागू नहीं होंगे) उक्त के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में म.प्र. शासन से आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ नियंत्रण हेतु बेलकुण्ड नदी डायवर्सन हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास, जनहित संबंधी है। अतः इस अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31.12.2014 एवं 03.04.2015 एवं 09.11.2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II एवं III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है।

**अनुसूची**

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

जिला	तहसील	ग्राम	कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या	कुल प्रभावित ख.नं.	अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
कटनी	ढीमरखेड़ा	मुड़िया पुरवा प.ह.नं. 17 नं. बं. 648	01	01 (314)	0.64	बाढ़ नियंत्रण हेतु बेलकुण्ड नदी डायवर्सन हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-50-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-1769

सागर, दिनांक 9 मार्च, 2022

मौजा इटावा, पट. ह. नं. 51, तहसील बीना

(देखिये धारा 19 एवं 21)

**:: अधिसूचना ::**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरोक्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।


- (1) परियोजना का नाम : झांसी-बीना तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत.
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बीना
  3. ग्राम : इटावा
  4. पट.ह.नं.- : 51
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.411 हैक्टे.

**:: अनुसूची ::**

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	चन्द्रप्रकाश पिता श्रीराम तिवारी पता मनोरमा वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	2.982	0.085	0.00	0.00	निरंक
2	श्यामबिहारी बेदप्रकाश रामप्रकाश, रामबाबू पिता नारायणदत्त रामदुलारी बेवा नारायणदत्त भूमि स्वामी, जगदीश सोहनलाल महेशदत्त पिता भगतराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, आसुतोष पिता ओमप्रकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मदनमोहन बृजमोहन शशिमोहन राधामोहन पिता गणेशदत्त कलिन्दी शिरोमणि पुत्री गणेशदत्त पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मनोहरलाल जगमोहन पिता रामेश्वरदयाल शांतिबाई बेवा रामेश्वरदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरिप्रकाश पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	124 / 1	18.105	0.314	0.00	0.00	01 पक्का कुंआ



	पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पुरुषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायण सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सूर्यप्रकाश चन्द्रप्रकाश सुधा अन्नपूर्णा मनोरमा पिता श्रीराम तिवारी पता सा. मनोरमा वार्ड बीना भूमि स्वामी								
3	ऋषभदेव सत्यदेव पिता सूर्यप्रकाश शकुन्तला बेवा सूर्यप्रकाश तिवारी पता सा. मनोरमा वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127 / 1	2.428	0.012	0.00	0.00	निरंक	
योग			03	23.515	0.411				



प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-11 उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-647-भू-अर्जन-22

देवास, दिनांक 9 मार्च, 2022

//प्रारंभिक अधिसूचना//

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र.1 में आई.एस. पी.-पार्वती फेज I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण के लिए ग्राम जागठा तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि आई.एस.पी.-पार्वती फेज I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-

अनुसूची-1

ग्राम- जागठा तहसील- कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी.-पार्वती फेज I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण .	0.270	0	0.270

अनुसूची-2

आई.एस.पी.-पार्वती फेज I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम जागठा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- जागठा तहसील- कन्नौद

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मानसिंह पिता बालकिशन	516/1/1	2.10	-	2.10	0.130	-	0.130
2	कैलाश पिता कोदर	260/1	1.41	-	1.41	0.140	-	0.140

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-2005-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मार्च, 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-18/लघु.सि./31/3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-आजनी प0ह0न0-62, ब.न.-12, रा.नि.मं. -ईकलबिहरी.	रकबा- 04.529 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सोंसर जिला छिन्दवाडा	गोरखपुर आजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-2006-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-18/लघु.सिं./31/3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम— ईकलबिहरी प0ह0न0—62, ब.न.—34, रा.नि.मं. —ईकलबिहरी,	रकबा— 01.584 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील—सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला—छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-2007-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, मोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-18/लघु.सिं./31/3269 मोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम- अडवार प0ह0न0-61, ब.न.-01, रा.नि.मं. -ईकलबिहरी,	रकबा- 01.768 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सोंसर जिला छिन्दवाड़ा	गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं M0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौसर जिला छिन्दवाड़ा (M0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-2008-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/03/2017-18/लघु.सि./31/3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-गोरखपुर प0ह0न0-67, ब.न.-136, रा.नि.मं. -ईकलबिहरी,	रकबा- 02.671 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।



क्र.-2009-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/32017-18/लघु.सिं./31/3269 भोपाल, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम- हिवरावासुदेव प0ह0न0-66, ब.न.-603, रा.नि.मं. -ईकलबिहरी,	रकबा- 08.726 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	गोरखपुर अजनी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-साँसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग साँसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

प्र. क्र.-ए 107

आगर मालवा,, दिनांक 14 मार्च 2022

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था) का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवन जिसका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)


ग्राम - पनाला तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा			
क्रं.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्रफल	
		कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	
1	निजी भवन 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	2670.019	
योग		2670.019	

## अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाले मकानों का विवरण।

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	सिमांक
1	01	अमरसिंह पिता भंवरलाल विश्वकर्मा	295	टीनशेड	66.18	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड	44.81	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	12.36	
कुल					123.34	
2	02	श्री मति शांताबाई वि. सिद्धनाथ विश्वकर्मा	295	टीनशेड	67.46	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड	45.68	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	12.92	
कुल					126.05	

स.क्र.	मकान नं.	मवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
3	3/1	अमरसिंह पिता रामचन्द्र भीलाला	295	कवेलू	49.53	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड	27.52	
				टीनशेड	8.19	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	48.26	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	7.98	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	61.65	
				खुला आंगन	82.72	
<b>कुल</b>					<b>285.85</b>	
4	3/2	श्री गंगाराम पिता रामचन्द्र भीलाला	295	कवेलू	39.20	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड	30.40	
				टीनशेड	29.45	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	23.87	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	22.61	
				खुला आंगन	24.99	
<b>कुल</b>					<b>170.52</b>	
5	4	दुलेसिंह पिता मांगीलाल	295	गाडर फर्सी	30.66	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड	15.12	
<b>कुल</b>					<b>45.78</b>	
6	5	श्री श्यामलाल पिता मांगीलाल भील	295	टीनशेड	50.45	
<b>कुल</b>					<b>50.45</b>	
7	6/1	दिनेश पिता भागीरथ भील	295	टीनशेड	18.48	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	14.64	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.12	
				खुला आंगन	5.28	
<b>कुल</b>					<b>53.52</b>	
8	6/2	रामसिंह पिता भागीरथ भील	295	टीनशेड	18.48	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.12	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	14.64	
				खुला आंगन	5.28	
<b>कुल</b>					<b>53.52</b>	
9	7	श्री हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	27.74	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।



स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क	
					कुल	27.74	
10	8	रामसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	39.78	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	77.52		
					कुल	117.30	
11	9/1	बलदेव पिता धुला जी गुर्जर	295	टीनशेड	32.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.50		
					कुल	60.75	
12	9/2	भगवानसिंह पिता बलदेवसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	32.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	29.25		
					कुल	61.50	
13	10	मेवाबाई पुत्री देवसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	32.37	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	32.37	
14	11	श्री मोहनलाल पिता गणपतसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	29.88	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	29.88	
15	12	रामदयाल पिता गणपत गुर्जर	295	टीनशेड	33.80	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	33.80	
16	13	सिद्धलाल पिता गणपतजी गुर्जर	295	टीनशेड	34.03	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	34.03	
17	14	जयनारायण पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	50.82	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	50.82	
18	15	हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	48.720	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	48.72	
19	16	श्री मति मोहनबाई पिता सूरजसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	52.25	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	51.15		
					कुल	103.40	
20	17	रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	53.91	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	52.78		
					कुल	106.69	
21	18	काशीराम पिता अमरसिंह गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	97.44	ग्राम आबादी मे स्थित हैं।	
					कुल	97.44	

(अ-अपेक्षित)

स.क्र.	मकान नं.	मकान के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
22	19	प्रहलाद पिता उमरावसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	77.40	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	63.64	
कुल					141.04	
23	20	मायाराम पिता छीता गुर्जर	295	टीनशेड	18.69	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	19.26	
कुल					37.95	
24	21	भोलाराम पिता मांगीलाल गुर्जर	295	टीनशेड	15.113	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.578	
कुल					30.69	
25	22	लुनाराम पिता मांगीलाल गुर्जर	295	टीनशेड	15.11	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	15.578	
कुल					30.69	
26	23	आत्माराम पिता माधुसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	29.05	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	21.580	
				खुला आंगन	38.60	
कुल					89.23	
27	24	माधुसिंह पिता गणपतसिंह गुर्जर	295	टीनशेड	26.82	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	26.08	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	56.16	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	29.60	
कुल					138.66	
28	25	हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर	295	आरसीसी छत	62.21	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
कुल					62.21	
29	26	हिन्दुसिंह पिता देवीसह	295	कवेलू	57.20	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
कुल					57.20	
30	27/1	पीरूलाल पिता भेरूलाल	295	पीरूलाल पिता भेरूलाल	23.40	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	11.96	
				टीनशेड	3.60	
				टीनशेड	8.55	
कुल					47.51	
31	27/2	गंगाराम पिता भेरूलाल भीलाला	295	टीनशेड	11.96	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	8.55	
				टीनशेड	3.80	
				कवेलू	23.40	
कुल					47.71	
32	28	मोहनलाल पिता हरिसिंह भीलाला	295	कवेलू	28.50	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				खुला आंगन	16.50	
कुल					45.00	

स.क्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	सर्वे नं.	मकान का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	रिमार्क
33	29/1	अमरसिंह पिता भंवरलाल भीलाला	295	टीनशेड	40.96	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	18.86	
				टीनशेड बिना चार दिवाल के	5.40	
<b>कुल</b>					<b>65.22</b>	
34	29/2	कंवरलाल पिता भंवरलाल भीलाला	295	कवेलू	21.66	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
				टीनशेड	15.96	
				टीनशेड	15.02	
				टीनशेड	13.48	
				टीनशेड	11.55	
<b>कुल</b>					<b>77.66</b>	
35	30/1	रमेशचन्द्र पिता समन्दर जी गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
<b>कुल</b>					<b>28.60</b>	
36	30/2	रामनारायण पिता समंदर गुर्जर	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
<b>कुल</b>					<b>28.60</b>	
37	30/3	सावीत्रीबाई पुत्री समंदर जी	295	टीनशेड बिना चार दिवाल के	28.60	ग्राम आबादी में स्थित हैं।
<b>कुल</b>					<b>28.60</b>	
<b>महायोग-</b>					<b>2670.019</b>	

नोट :- भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र. क्र.-ए 3407-2022

## प्रारंभिक अधिसूचना

राजगढ़ दिनांक 29 मार्च, 2022

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुआँहेडी जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ सुआँहेडी जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
	निजी भूमि सुआँहेडी जलाशय के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-सुआँहेडी की भूमि	2.792
2	ग्राम-सूरजपुरा की भूमि	0.898
	<b>योग</b>	<b>3.690</b>

## अनुसूची (2)

(1) सुआँहेडी जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-सुआँहेडी

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मंवरलाल, चम्पा, भूरालाल पिता देवा, सोनीबाई, गोपीबाई पुत्री देवा, मजरीबाई बैवा देवा, अमरसिंह, हजारी पिता किशना, सरदारी, रोडी, जमना पुत्री किशना मु. मथरीबाई बैवा किशना, भूरा पिता मानसिंह जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	64/250	0.959	0.959
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.959</b>	<b>0.959</b>
2	मांगीबाई पुत्री बंशीलाल, रेखाबाई पुत्री बंशीलाल, जगदीश पिता बंशीलाल, कृष्णाबाई पुत्री बंशीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	276/64/1	0.457	0.457
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.457</b>	<b>0.457</b>
3	किशन पिता खेमा, धीसालाल पिता खेमा जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	276/64/2	0.398	0.398
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.398</b>	<b>0.398</b>
4	किशन, धीसा पिता खेमा, केशा, दयाराम पिता किशोर मदन दोला पिता परसा, कालू, बंशीलाल, मांगीलाल पिता गणेश, दल्लु पुत्री गणेश जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	276/64/3	0.776	0.776
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.776</b>	<b>0.776</b>
5	रायसिंह पिता बीरम, लेखराज पिता बीरम, काशीबाई बैवा बीरम जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	260/64	0.202	0.202
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.202</b>	<b>0.202</b>
	<b>कुलयोग ग्राम-सुआँहेडी</b>	<b>5</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	अमरसिंह पिता भारमल, गोरबाई, कंचनबाई बैवा मांगीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	97/156/1	0.594	0.594
	<b>योग</b>	<b>1</b>		
2	ग्यारसीबाई बैवा मंवरलाल, रामचंद पिता मंवरलाल, मदन, बबशु पिता घन्ना जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी	97/151	0.304	0.304
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.898</b>	<b>0.898</b>
	<b>कुलयोग ग्राम-सूरजपुरा</b>	<b>2</b>	<b>0.898</b>	<b>0.898</b>
	<b>महायोग</b>	<b>7</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>



## शुद्धि पत्र

जावक क्र.-ए 3415

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2020-21 पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित ग्राम तरेनी धाकड़ की आबादी भूमि में स्थित मकानों के अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20-08-2021 को कराया गया था। उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि/मकानों का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार नायब तहसीलदार कुरावर के प्रतिवेदन अनुसार दुरस्तीकरण कराया गया। उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

स.क्र.	धारा 19 की अधि. सूचना का स. क्र.	पूर्वोक्त अधिसूचना धारा-19 में अंकित (संशोधन/ विलोपन योग्य)			वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत		
		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (व.मी. में)	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (व.मी.में)
1	15	उम्मेदराम पिता खोपचन्द	130	108.78	उम्मेदराम पिता खूबचन्द	126/2	108.78
2	16	लक्ष्मीचन्द पिता मोतीलाल संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचन्द	130	127.80	लक्ष्मीचन्द पिता मोतीलाल संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचन्द	126/2	127.80
3	17	मांगीलाल पिता मोतीलाल रामस्वरूप पिता मांगीलाल	130	198.03	मांगीलाल पिता मोतीलाल रामस्वरूप पिता मांगीलाल	126/2	198.03
4	19	जमनालाल पिता मांगीलाल	130	20.72	जमनालाल पिता मांगीलाल	126/2	20.72
5	20	सावित्री बाई पति राधेश्याम	130	21.08	सावित्री बाई पति राधेश्याम	126/2	21.08
6	21	घीसीलाल पिता नन्चूलाल	130	86.48	घीसीलाल पिता नन्चूलाल	126/2	86.48
7	22	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ	130	45.15	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ	126/2	45.15
8	23	पप्पू पिता कृष्णवल्लभ	130	42.81	पप्पू पिता कृष्णवल्लभ	126/2	42.81
9	24	हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ	130	18.53	हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ	126/2	18.53
10	25	केशरसिंह पिता गणपत	126/1	60.16	केशरसिंह पिता गणपत	126/2	60.16
11	26	रामलाल पिता गणपत	126/1	15.19	रामलाल पिता गणपत	126/2	15.19
12	54	किशोर पिता धूलजी	130	46.80	किशोर पिता धूलजी	126/2	46.80
13	55	लख्मीचन्द पिता धूलजी	130	44.20	लख्मीचन्द पिता धूलजी	126/2	44.20
14	56	हेमराज पिता घनश्याम	130	50.05	हेमराज पिता घनश्याम	126/2	50.05
15	57	बाबूलाल पिता हरकिशन	130	10.00	बाबूलाल पिता हरकिशन	126/2	10.00
16	58	प्रकाश पिता रामचरण	130	16.80	प्रकाश पिता रामचरण	126/2	16.80
17	59	विक्रम पिता रामचरण	130	21.32	विक्रम पिता रामचरण	126/2	21.32
18	60	रामचरण पिता जगन्नाथ	130	55.80	रामचरण पिता जगन्नाथ	126/2	55.80
19	63	राधेश्याम पिता पूनमचन्द	126/2	45.60	राधेश्याम पिता पूनमचन्द	130	45.60
20	64	अनारसिंह पिता पूनमचन्द	126/2	28.16	अनारसिंह पिता पूनमचन्द	130	28.16
21	65	फूलसिंह पिता हरकिशन	126/2	16.28	फूलसिंह पिता हरकिशन	130	16.28
22	66	जगदीश पिता फूलसिंह	126/2	20.09	जगदीश पिता फूलसिंह	130	20.09
23	67	धूलजी पिता हरकिशन	126/2	47.74	धूलजी पिता हरकिशन	130	47.74
24	75	रमेश पिता रामस्वरूप	126/2	14.40	रमेश पिता रामस्वरूप	130	14.40

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-1-अ-82-21-22

टीकमगढ़, दिनांक 1 अप्रैल, 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

**अधिसूचना**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रायोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	<b>सुजानपुरा तालाब योजना</b>
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	<b>टीकमगढ़</b>
2. तहसील	:	<b>बल्देवगढ़</b>
3. ग्राम	:	<b>राजनगर</b>
4. प.ह.नं.	:	<b>00005</b>
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	<b>76.991 हेक्टेयर</b>

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कुंजी देवीदास हनुमत तनय नथू 1/2 हि. बरा. मु. हरबू पत्नी नथू, जगत करन तनय नथू, मैदा पुत्री नथू तीनों ना.बा. संराक माता हरबू पत्नी नथू 1/2 हि. बराबर जाति लोधी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			90/2	0.470	0.150	
			92/1	0.607	0.607	
			<b>2</b>	<b>1.077</b>	<b>0.757</b>	
2	शीला पुत्री मुन्शी, चिन्ताराम, धनीराम, हरीराम तनय मुन्शी, लच्छीबाई बेबा मुंशी हि0 1/10 भाग, हल्काई तनय पर्वत लोधी हि. 1/10, सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/5 हि0, दयाराम, नंदू, राजाराम तनय हिम्मा 1/5 हि0, रामबगस, जगदीश, तुलसी तनय बाबू लोधी 1/5 हि0 छोटेला, जगन, तिजू तनय मोहन लोधी 1/5 हि0 निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			92/3	0.600	0.600	
			467	0.158	0.158	
			458	0.113	0.113	
			512	0.154	0.154	
			517	0.287	0.287	

1	2	3	4	5	6	7
			526	0.174	0.174	
			527	0.045	0.045	
			541	0.721	0.721	
			449	0.053	0.053	
			546	3.116	3.116	
			547	0.914	0.914	
			548	0.287	0.287	
			551	2.367	2.267	
			555	1.028	1.028	
			695	0.134	0.134	
			750	0.299	0.050	
			<b>16</b>	<b>10.450</b>	<b>10.101</b>	
3	रामप्रसाद, करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०, मोहन तनय रामप्रसाद, रामबगस, जगदीश, तुलसी तनय बाबू, दयाराम, नन्दू, राजाराम तनय हिम्मा 1/12 हि० समान भाग, मु. मल्दी बेबा बारेलाल, सुखनदी तनय बारेलाल 1/20 हि० समान भाग, दामोदर तनय सूका 1/8 हि० भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, भगवत तनय भगवानदास 1/8 हि०, कुन्जी, देवीदास, हनुमत तनय नथू हि० 7/38, जगत, करन तनय नथू मैदा पुत्री नथू हि० 1/38, प्यारेलाल तनय दौलत 1/48 भाग लक्ष्मन तनय रामनाथ लोधी 1/48 हि०, जुगल, देशराज, वृजबिहारी तनय परम लोधी हि. 1/16, भूमि ग्रामी	स्वामित्व				
			96	1.327	1.327	
			97/2	1.188	0.800	
			<b>2</b>	<b>2.515</b>	<b>2.127</b>	
4	दुडुवा तनय बाबू जाति बसोर नि. ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			97/1	0.447	0.090	
			<b>1</b>	<b>0.447</b>	<b>0.090</b>	
5	कुन्जी तनय नथू 1/8 भाग, जगत तनय नथू 1/8 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि०, लक्ष्मन तनय रामनाथ 1/4 भाग, जुगल तनय परम लोधी 1/4 हि० भाग	स्वामित्व				
			100	0.563	0.350	
			101	0.749	0.400	
			168/2	0.170	0.032	
			714	0.316	0.316	
			595	0.117	0.102	
			430	0.393	0.393	
			431	0.040	0.040	
			432	0.158	0.158	
			433	0.125	0.125	
			434	0.024	0.024	
			435	0.073	0.073	

1	2	3	4	5	6	7
			436	0.049	0.049	
			437	0.077	0.077	
			438	0.162	0.162	
			439	0.454	0.454	
			440	0.020	0.020	
			441	0.020	0.020	
			442	0.045	0.045	
			443	0.101	0.101	
			444	0.089	0.089	
			445	0.097	0.097	
			446	0.251	0.235	
			450	0.154	0.154	
			460	0.134	0.134	
			513	0.065	0.065	
			514	0.121	0.121	
			523	0.336	0.336	
			525	0.166	0.166	
			597	0.259	0.239	
			<b>29</b>	<b>5.328</b>	<b>4.577</b>	
6	सुखदीन तनय बाबू बसोर नि. ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			150	0.441	0.005	
			<b>1</b>	<b>0.441</b>	<b>0.005</b>	
7	मु० गौरीबाई बेबा चुन्नी लोधी 1/6 भाग, काशीराम तनय चुन्नी 1/6 भाग, पप्पू उर्फ अयोध्या त. चुन्नी लोधी 1/6 हि०, हरचरन तनय हल्लू लोधी 1/6 हि० रामदीन तनय हल्लू लोधी 1/6 भाग, प्रेमबाई बेबा हल्लू 1/6 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			215/1	0.898	0.190	
			<b>1</b>	<b>0.898</b>	<b>0.190</b>	
8	गोकल पुत्र कूरा, हरकिया, जमना पुत्री कूरा चमार 1/4 हि० सुरेश तनय मन्नू काछी हि० 1/8 भाग, लल्लू तनय रमुवा अहिरवार हि० 1/16, फुदरी बेबा रमुआ अहिरवार हि० 1/16, बारेलाल तनय कलुवा चमार 1/4 हि०, धनुवा पुत्र पंचा चमार हि० 1/4	स्वामित्व				
			197	0.724	0.010	
			<b>1</b>	<b>0.724</b>	<b>0.010</b>	
9	गुपला तनय बल्ला काछी नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			789	0.081	0.081	
			390	0.036	0.036	
			393	0.032	0.032	
			<b>3</b>	<b>0.149</b>	<b>0.149</b>	

1	2	3	4	5	6	7
10	हरबलू तनय धांधू काछी 1/48 हि0, हल्ली पत्नि बैजू काछी 1/48, मु. नन्नीबाई बेबा जंगी काछी 1/72 हि0, नत्थू तनय जंगी काछी 1/72 हि0, भरोसी बाई पुत्री जंगी काछी 1/72 हि0, श्यामबाई पत्नि जंगी 1/72 हि0, लली पुत्री जंगी काछी 1/72 हि0, मुन्नीबाई पुत्री जंगी 1/72 हि0, कल्लू तनय मथरा काछी 1/6 हि. अधरा पुत्र भरोसा काछी हि0 19/504, चैनू तनय भरोसा काछी हि0 19/504, मुन्ना तनय भरोसा काछी हि0 19/504, किशन तनय भरोसा काछी हि0 19/504, जगन तनय भरोसा काछी हि0 19/504, बैजू पुत्र रमजुवा काछी हि0 2/9, हल्लू पुत्र गंभीरा काछी हि0 1/9, गौरीबाई बेबा चुन्नी काछी हि0 1/27, काशीराम पुत्र चुन्नी काछी 1/27 हि0, पप्पू उर्फ अयोध्या पुत्र चुन्नी काछी 1/27 हि0, गुलाब बेबा परमलाल काछी 19/2016 शान्तिबाई पुत्री परमलाल काछी 19/2016, जगदीश पुत्र परमलाल काछी 19/2016, शिवदयाल तनय परमलाल काछी हि0 19/2016 जाति काछी नि.ग्रामी	स्वामित्व				
			232	0.174	0.030	
			1	0.174	0.030	
11	नत्थू तनय रामचरन काछी हि0 1/4, लक्ष्मीप्रसाद तनय रामचरन काछी 1/4 हि0, सुन्नी पुत्री रामचरन काछी 1/4 हि0, कन्टा पुत्री रामचरन काछी 1/4 हि0	स्वामित्व				
			237	0.028	0.010	
			1	0.028		
12	मुन्नी तनय अनंता काछी नि. ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			358/1	0.202	0.090	
			1	0.202	0.090	
13	रज्जू तनय भगोला काछी 1/2 हि0, कन्हैयालाल तनय तुलसी काछी 1/8 हि0, घन्सू तनय तुलसी 1/8 हि0, दयाराम तनय तुलसी काछी 1/8 हि0, कन्दू बेबा तुलसी काछी 1/8 हि0	स्वामित्व				
			381	0.008	0.008	
			385	0.040	0.040	
			2	0.048	0.048	
14	पिरवा, दमरू तनय छन्दी काछी	स्वामित्व				
			382	0.036	0.036	
			398	0.036	0.036	
			785	0.012	0.012	
			3	0.084	0.084	
15	दलीपा तनय दलीपा काछी 1/2 हि0 मु. मुन्नीबाई बेबा दलीपा काछी 1/2 हि0 नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			383	0.040	0.040	
			397	0.040	0.040	
			2	0.080	0.080	

1	2	3	4	5	6	7
16	छन्नू, परमा तनय पारीक्षत 1/3 हि०, छिदामी, भैयालाल तनय भरोसा 1/3 हि० काछी, मु. जग्गूबाई बेबा चैना, मौनलाल, हीरा, गुमना, बारेलाल, जानकी, बल्लुवा तनय चैना काछी 1/3 हि०	स्वामित्व				
			386	0.089	0.089	
			399	0.081	0.081	
			786	0.016	0.016	
			787	0.146	0.146	
			4	0.332	0.332	
17	नंदलाल तनय भुनिया काछी 1/3 हि०, गुमना तनय भुनिया काछी 1/3 हि०, हरीराम तनय भुनिया काछी	स्वामित्व				
			388	0.028	0.028	
			394	0.020	0.020	
			2	0.048	0.048	
18	बैजूराम तनय रमजुवा काछी हि० 1/3, शान्ति पुत्री परमलाल काछी 1/96 हि०, गुलाब बेबा परमलाल 1/96 हि०, जगदीश तनय परमलाल काछी 1/96 हि०, शिवदयाल तनय परमलाल 1/96 हि०, अधरा तनय भरोसा 1/24 हि०., गौरीबाई बेबा चुन्नी काछी 1/18 हि०, प्रेमबाई बेबा हल्लू 1/18 हि०, वंशी तनय भरोसा 1/24 हि०, चैनु तनय भरोसा 1/24 हि०, किशन तनय भरोसा, लमेराबाई बेबा भरोसा 1/24 हि०, हल्की पत्नि बैजू 1/24 हि०., हरचरन तनय हल्लू 1/18 हि०, रामदीन तनय हल्लू 1/18 हि०, काशीराम तनय चुन्नी 1/18 हि०, पप्पू उर्फ अयोध्या तनय चुन्नी 1/18 हि०	स्वामित्व				
			389	0.028	0.028	
			395	0.016	0.016	
			3	0.044	0.044	
19	परमा तनय पारीक्षत काछी 1/2 हि० छन्नू तनय पारीक्षत काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			391	0.150	0.150	
			400	0.097	0.097	
			2	0.247	0.247	
20	परमा छन्नू तनय पारीक्षत 1/15 हि०, जग्गूबाई बेबा चैना, मौनलाल, हीरा, खुमना, बारेलाल, जानकी, बल्लुवा तनय चैना काछी 1/15 हि० समान भाग, हीरा, बारेलाल, बल्लुवा तनय चैना काछी 1/15 हि० बराबर, मु. लक्ष्मीबाई बेबा भरोसा, अधरा, परमा, वंशी, चैनु, मुन्ना, किशन, जगन तनय भरोसा काछी 1/45 समान भाग, रामप्रसाद तनय दमरूवा ना.बा.संर. पिता खुद 1/45 हि०, बैजूराम तनय रमजुवा काछी 1/45 हि०, चिरौंजीबाई बेबा दमरूवा, मथरा, मोहन, ना.बा. रामप्रसाद जयराम ना.बा. तनय दमरूवा संर. माता चिरौंजीबाई काछी 1/6 हि० समान भाग, मु. कलिया बेबा रज्जू, दयालू, जालम तनय रज्जू काछी हि० 1/30 समान भाग, तुलसी तनय भगोला काछी हि. 1/30, रनिया बेबा रामप्यारे, प्रभू, बल्लू तनय रामप्यारे काछी 1/5 हि० समान भाग, मोहन तनय	स्वामित्व				

1	2	3	4	5	6	7
	दमरूवा 1/10 हि० गुपला तनय बल्ला काछी 1/15 हि० नन्नीबाई बेबा दलीपा, दशरथ तनय दलीपा 1/15 समान भाग, नवलकिशोर तनय सुदामा प्रसाद पुरोहित 1/15 हि०		779	0.664	0.040	
			387	0.024	0.024	
			392	0.065	0.065	
			401	0.721	0.470	
			402	0.085	0.085	
			793	0.085	0.010	
			790	0.125	0.125	
			<b>7</b>	<b>1.769</b>	<b>0.819</b>	
21	भगवानदास तनय हल्के काछी 1/2 हि०, मोहन तनय दमरूवा काछी 1/2 हि०	स्वामित्व				
			396	0.089	0.089	
			783	0.174	0.174	
			792	0.125	0.125	
	<b>3</b>	<b>0.388</b>	<b>0.388</b>			
22	ललन्जुवा तनय लक्ष्मण उर्फ खंजुवा 1/2 हि० भाग, दुरजूलाल तनय मुन्नी काछी 1/4 हि०, मुन्नी तनय अनन्ता काछी 1/12 भाग, भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/12 हि०, जैबू पुत्री अनन्ता काछी 1/12 हि०	स्वामित्व				
			403	0.105	0.105	
			413	0.024	0.024	
			421	0.125	0.125	
	<b>3</b>	<b>0.254</b>	<b>0.254</b>			
23	फुन्दी तनय घसिया काछी नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			486	0.081	0.081	
			404	0.093	0.093	
			488	0.194	0.194	
			412	0.024	0.024	
			494	0.109	0.109	
			420	0.129	0.129	
	<b>6</b>	<b>0.630</b>	<b>0.630</b>			
24	हल्के तनय सटोला चमार नि. बैसा	स्वामित्व				
			425	0.032	0.032	
	<b>1</b>	<b>0.032</b>	<b>0.032</b>			
25	नन्ने तनय अयोध्या काछी 1/6 भाग, चुन्नी तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०, फुल्लू तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०, छननू तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०, छिदामी तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०, अनंदी तनय अयोध्या काछी 1/6 हि०	स्वामित्व				
			423	0.117	0.117	
			483	0.089	0.089	
			405	0.081	0.081	
			485	0.125	0.125	
			411	0.024	0.024	
			489	0.178	0.178	
	<b>6</b>	<b>0.614</b>	<b>0.614</b>			

1	2	3	4	5	6	7
26	जनका तनय कुन्ना काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी हल्का तनय कुन्ना काछी 1/2 हि० नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			406	0.134	0.134	
			482	0.223	0.223	
			410	0.028	0.028	
			490	0.178	0.178	
		<b>4</b>	<b>0.563</b>	<b>0.563</b>		
27	धनीराम तनय घसिया काछी 1/9 हि०, कल्ला तनय घसिया काछी 1/9 हि०, फुन्दी तनय घसिया 1/9 हि०, पंचू तनय घसिया 1/9 हि०, सरजू पुत्री घसिया 1/9 हि०, भागवती पुत्री घसिया 1/9 हि०, सुकवती पुत्री घसिया 1/9 हि०, काटीबाई बेबा घसिया 1/9 हि० जगप्रसाद तनय घसिया काछी 1/9 हि०	स्वामित्व				
			407	0.214	0.214	
			<b>1</b>	<b>0.214</b>	<b>0.214</b>	
28	कल्ला तनय घसिया कुशवाहा निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			408	0.016	0.016	
			409	0.028	0.028	
			415	0.089	0.025	
			416	0.032	0.032	
			422	0.227	0.227	
		<b>5</b>	<b>0.392</b>	<b>0.328</b>		
29	नन्ने, चुन्नी, फुल्लू तनय अयोध्या काछी 1/2 हि०, छननू छिदामी, अनंदी तनय अयोध्या काछी 1/12 हि०	स्वामित्व				
			414	0.093	0.035	
			424	0.154	0.154	
		<b>2</b>	<b>0.247</b>	<b>0.189</b>		
30	श्रीमती सुनीता पत्नि मूलचन्द्र साहू 1/3 हि०, मुन्नी, भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/36 हि० जैबू पुत्री अनन्ता काछी 1/72 हि०, अयोध्या पुत्र धर्मा 1/6 भाग, ललन्जुवा तनय लक्ष्मन उर्फ खंजुवा 1/12 हि०, हल्का तनय कुन्ना 1/12 हि०, फुन्दी तनय घसिया काछी 1/6 हि०, दुरजूलाल नय मुन्नी कुशवाहा 1/24 हि०, जनका तनय कुन्ना 1/12 हि०	स्वामित्व				
			417	0.016	0.016	
			418	0.028	0.028	
			419	0.016	0.016	
			428	2.727	2.700	
		<b>4</b>	<b>2.787</b>	<b>2.760</b>		
31	ललन्जुवा तनय लक्ष्मन उर्फ खंजुवा 1/2 हि० भाग, दुरजूलाल तनय मुन्नी काछी 1/4 हि०, मुन्नी तनय अनन्ता काछी 1/12 भाग, भरोसी तनय अनन्ता काछी 1/12 हि०, जैबू पुत्री अनन्ता काछी 1/12 हि०	स्वामित्व				
			426	0.032	0.032	



1	2	3	4	5	6	7
			484	0.109	0.109	
			487	0.089	0.089	
			491	0.138	0.138	
			4	0.368	0.368	
32	सुनीता पत्नि मूलचन्द्र जाति साहू नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			427	0.085	0.085	
			1	0.085	0.085	
33	आशाराम तनय भग्गे जाति लोधी भूमिग्रामी	स्वामित्व				
			544	0.494	0.494	
			1	0.494	0.494	
34	रामप्रसाद तनय आशाराम लोधी 1/2 हि0, करन तनय आशाराम लोधी 1/2 हि0 भूमि ग्रामी	स्वामित्व				
			447	0.061	0.061	
			452	0.069	0.069	
			457	0.101	0.101	
			459	0.097	0.097	
			470	0.049	0.049	
			476	0.012	0.012	
			477	0.012	0.012	
			7	0.401	0.401	
35	भुमानीदेवी पत्नि दामोदर 1/2 हि0, मु. हरबू बेबा जानकी लोधी, मु. शान्ति बेबा भगवानदास, भगवत नय भगवानदास, चम्पा, ज्ञान, भुमना पुत्री भगवानदास लोधी, केशरबाई बेबा रामप्रसाद, भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, पारा, पैराबाई, राजाबाई पुत्री रामप्रसाद लोधी 1/2 समान भाग, भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			455	0.198	0.198	
			515	0.202	0.202	
			522	0.308	0.308	
			524	0.206	0.206	
			710	0.271	0.271	
			5	1.185	1.185	
36	भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, भगवत तनय भगवानदास लोधी 1/2 हि0, भुमनादेवी पत्नि दामोदर लोधी 1/12 हि0	स्वामित्व				
			465	0.146	0.146	
			1	0.146	0.146	
37	सूका तनय छत्ते लोधी 1/2, मु. हरबू बेबा जानकी लोधी, मु. शान्तिबाई बेबा भगवानदास, भगवत तनय भगवानदास, चम्पा, ज्ञान, भुमना पुत्री भगवानदास लोधी, मु. केशरबाई बेबा रामप्रसाद, भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद, पारा, पैराबाई राजाबाई पुत्री रामप्रसाद लोधी 1/2 हि0 समान भाग	स्वामित्व				
			712	0.129	0.129	
			1	0.129	0.129	

1	2	3	4	5	6	7
38	रामप्रसाद तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०, आशाराम तनय भग्गा लोधी 1/2 हि०, करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०	स्वामित्व				
			456	0.093	0.093	
			451	0.065	0.065	
			448	0.061	0.061	
			461	0.061	0.061	
			462	0.061	0.061	
			466	0.125	0.125	
			468	0.045	0.045	
			472	0.040	0.040	
			473	0.016	0.016	
			474	0.057	0.057	
			10	0.624	0.624	
39	कुन्जी तनय नथू 1/144 हि० हनुमत तनय नथू लोधी 1/144 हि०, दयाराम तनय हिज्जा 1/108 हि०, पानबाई पुत्री रामदयाल 1/4 हि०, पुनिया बेबा भग्गा 1/8 हि०, सुखनंदी तनय बारेलाल 1/36 हि०, लक्ष्मन तनय रामनाथ 1/24 हि०, शीला पुत्री मुंशी 1/180 हि० दामोदर तनय सूका 1/12 हि०, देवीदास तनय नथू 1/144 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 1/24 हि०, जुगल तनय परम 1/24 हि०, देशराज तनय परम 1/72 हि०, बृजबिहारी तनय परम 1/72 हि०, आशाराम तनय भग्गा 1/8 हि०, भागीरथ तनय रामप्रसाद 1/48 हि०, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 1/48 हि०, भगवत तनय भगवानदास 1/24 हि०, करन तनय नथू 1/44 हि० मैदा पुत्री नथू 1/144 हि०, रामबगस तनय बाबू 1/108 हि० जगदीश तनय बाबू 1/108 हि०, नंदू तनय हिम्मा 1/108 हि०, तुलसी पुत्र बाबू 1/108 हि०, चिन्तामन तनय मुंशी 1/180 हि०, धनीराम तनय मुंशी 1/180 हि०, हरीराम तनय मुंशी 1/180 हि०, लच्छीबाई बेबा मुंशी 1/180 हि०, हल्काई तनय पर्वत 1/90 हि०, छोटेलाल तनय मोहन लोधी 1/180 हि०, तिजू तनय मोहन लोधी 1/180 हि०, पिररू पुत्री मोहन लोधी 1/180 हि०, कमली पुत्री मोहन लोधी	स्वामित्व				
			453	0.024	0.024	
			454	0.024	0.024	
			463	2.996	1.670	
			464	0.761	0.761	
			471	0.020	0.020	
			5	3.825	2.499	
40	रामप्रसाद तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०, आशाराम तनय भग्गा 1/2 हि० करन तनय आशाराम लोधी 1/4 हि०	स्वामित्व				
			475	0.279	0.279	
			1	0.279	0.279	

1	2	3	4	5	6	7
41	दयाराम उर्फ राजाराम तनय हिम्मा, मु. गनयारीबारी उर्फ शीलदुलैया बेबा हिम्मा 1/3 हि०, मोहन तनय रामप्रसाद, सुखनंदी तनय बारेलाल 2/36 हि० प्यारे तनय दौलत 1/36 हि० भगवत तनय भगवानदास, मु. हरबू बेबा जानकी 1/6 भाग, रामबगस तनय बाबू 1/36 हि०, धर्मदास मोहन तनय जुन्नू 1/36 हि०, कुंजी हनुमत, देवीदास तनय नथू 1/36 हि०, मु. हल्की बेबा रामनाथ, लक्ष्मन तनय रामनाथ, भागीरथ, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 1/24 हि०, जुगल, देशराज, बृजबिहारी तनय परम 1/24 हि०. दमोदर तनय सूका लोधी 1/6 भाग नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			469	0.117	0.117	
			516	0.146	0.146	
			518	0.032	0.032	
			609	0.632	0.632	
			610	0.206	0.206	
			611	0.093	0.093	
			713	0.117	0.117	
			711	0.243	0.243	
			715	0.316	0.316	
			519	0.045	0.045	
			520	0.053	0.053	
			528	0.275	0.275	
			529	1.858	1.858	
			530	0.352	0.352	
			608	0.142	0.142	
			<b>15</b>	<b>4.627</b>	<b>4.627</b>	
42	फुन्दी तनय घसिया काछी 1/4, अयोध्या तनय धर्मा 1/6 मुन्ना, भसोरी तनय अनंता काछी 1/24 हि० ललजुवा तनय लक्ष्मना उर्फ खंजुवा 1/8 हि०, जैबू पुत्री अनंता 1/48 हि०, दुरजूलाल तनय मुन्नी काछी 1/16 हि०, जनका, हल्का तनय कुन्ना कुशवाहा 1/3 भाग,	स्वामित्व				
			481	0.024	0.024	
			<b>1</b>	<b>0.024</b>	<b>0.024</b>	
43	जनका हल्का तनय कुन्ना, अयोध्या तनय धर्मा 1/2 हि०, ललजुवा तनय लक्ष्मना उर्फ खंजुवा 1/8, मुन्ना, भरोसी, परसादी तनय अनंता, खरगी, जैबू, सल्लू पुत्री अनंता काछी 1/8 हि० फुन्दी तनय घसिया काछी 1/4 हि०, निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			492	0.016	0.016	
			493	0.093	0.093	
			495	0.551	0.551	
			496	0.129	0.129	
			<b>4</b>	<b>0.789</b>	<b>0.789</b>	

1	2	3	4	5	6	7
44	चन्नू तनय प्यारेलाल 1/8 हि. नलथू तनय स्वामी लोधी 1/12 हि०, राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/12 हि०, जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/12 हि० भूरीबाई बेबा सरजू लोधी, मु० गुडडी बेबा राममिलन 1/32, घरू तनय श्रीराम लोधी 3/64 हि०, श्रीप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/16 हि०, गुलाबबाई पत्नि मलखान लोधी 9/64 हि० भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/64 हि०, करई पत्नि चतुर लोधी 1/64 हि०, सुन्दर तनय श्रीराम लोधी 3/64 हि०, मेहरबान तनय सरजू लोधी 1/32 हि०, दशरथप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/64 हि०, किशन तनय जानकी लोधी 1/16 हि०, चतुर तनय जानकी लोधी 1/16 हि० हरसेवक तनय राममिलन लोधी 1/32 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			505/1428	0.129	0.129	
			505/1427	0.125	0.125	
			505	0.502	0.450	
			506	0.603	0.603	
			507	0.069	0.069	
			508	0.409	0.409	
			509	0.142	0.142	
			510	0.028	0.028	
			617	0.045	0.045	
			622	0.040	0.040	
			10	2.092	2.040	
45	जोगी, देशराज, बृजबिहारी तनय परम जाति लोधी हि. बराबर भूमि ग्रामी	स्वामित्व				
			533/1	0.202	0.202	
			1	0.202	0.202	
46	दयाली, जगदीश तनय चुखरा, कन्नू तनय बालचन्द्र कन्नू बब्बू, खुमना, पवन तनय बालचरन गड़रिया नि.ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			535	0.821	0.821	
			1172/1	1.627	1.500	
			2	2.448	2.321	
47	चन्नू तनय प्यारेलाल 1/4 हि. गोकल, हरीराम जसरथ तनय चन्नू 1/4 हि. बरा. देशू तनय सुन्ना 1/8 हि. मु. भूरीबाई बेबा सरजू, राममिलन मेहरबान तनय सरजू 5/16 हि. बरा. राजाराम तनय धनीराम 1/16 हि. जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			538	1.319	0.300	
			1	1.319	0.300	
48	बाबू, पंचम तनय कामता बाढ़ई 2/3 समानभाग, मु. बैनीबाई बेबा मलखान, हजारी, हरचरन, वीरन, राकेश तनय मलखान जाति बाढ़ई 1/3 हि० समान भाग	स्वामित्व				
			540/1	0.501	0.501	
			1	0.501	0.501	

1	2	3	4	5	6	7
49	बाबू तनय कामता बाढ़ई 1/3, पंचम तनय कामता, 1/3 हि०, मलखान तनय कामता बाढ़ई 1/3 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			540/2	0.405	0.405	
			1	1.407	1.407	
50	प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि०, जुगल तनय परम लोधी 1/12 हि०, जगत तनय नथू 1/24 हि० कुन्जी तनय नथू 1/24 हि०, धर्मदास तनय लम्पू रैकवार 19/240 हि० मौनलाल तनय लम्पू रैकवार 1/16 हि०, परमलाल तनय हल्काई रैकवार 19/240 हि०, देवीदास तनय नथू 1/24 हि०, हनुमत तनय नथू 1/24 हि०, करन तनय नथू 1/24 हि०, मैदा पुत्री नथू 1/24 हि०, गोरेलाल तनय हल्काई रैकवार 19/240 हि० बृजबिहारी तनय परम लोधी 1/12 हि०, भगवानदास तनय छत्ता रैकवार 1/60 हि०, जमना पुत्र हल्काई रैकवार 1/60 हि०	स्वामित्व				
			561	1.291	1.250	
			565	0.522	0.522	
			567	0.388	0.388	
			568	0.210	0.210	
			580	0.490	0.190	
			5	2.901	2.560	
51	लल्लू तनय लछुवा 1/2 हि० कूरा तनय भगवाना 1/2 हि० जाति सौर भूमि ग्रामी	स्वामित्व				
			571	0.053	0.053	
			572	0.721	0.721	
			573	0.615	0.615	
			574	0.320	0.320	
			4	1.709	1.709	
52	परमलाल तनय हल्काई धर्मदास तनय लम्पू जाति ढीमर निवासी देवीनगर	स्वामित्व				
			557	0.219	0.219	
			1	0.219	0.219	
53	श्रीराम तनय जानकी लोधी नि.ग्रामी	स्वामित्व				
			578	0.393	0.393	
			576	0.158	0.158	
			2	0.551	0.551	
54	कुन्जी तनय नथू 1/8 हि०, जगत तनय नथू 1/8 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 1/4 हि०, लक्ष्मन तनय रामनाथ 77/436 हि०, धर्मदास तनय लम्पू 2/109 हि०, तनय लम्पू रैकवार देवीनगर 2/109 हि०, परमलाल गोरेलाल तनय हल्काई रैकवार 4/109 हि०, जुगल तनय परम लोधी 1/4 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			581	1.141	0.290	
			1	1.141	0.290	

1	2	3	4	5	6	7
55	चन्नू तनय देविया 1/2 हि०, गोकल, हरीराम, जसरथ तनय चन्नू लोधी 1/2 हि० समान भाग	स्वामित्व				
			598/1	1.000	0.300	
			1	1.000	0.300	
56	राममिलन तनय सरजू लोधी निवासी ग्राम भूमि	स्वामित्व				
			599/1	0.405	0.250	
			1	0.405	0.250	
57	चन्नू तनय प्यारेलाल लोधी, राकेश, अशोक, अरविन्द तनय जगन्नाथ, सुधादेवी पुत्री जगन्नाथ, मु. कुसुम बेबा जगन्नाथ लोधी 1/2 समान भाग, शोभाराम तनय देशू श्रीबाई पुत्री देशू लोधी, फूलाबाई बेबा देशू 1/8 हि० समान भाग, मु. भूरीबाई बेबा सरजू, मेहरबान तनय सरजू लोधी, मु. गुड्डी बेबा राममिलन, हरसेवक तनय राममिलन जाति लोधी 7/16 हि० समान भाग, राजाराम तनय धनीराम लोधी 1/16 हि०	स्वामित्व				
			603	0.409	0.170	
			605	0.526	0.310	
			613	0.065	0.065	
			615	0.053	0.053	
			618	0.356	0.356	
			620	0.093	0.093	
			626	0.073	0.073	
			627	0.020	0.020	
			628	0.049	0.049	
			629	0.077	0.077	
			630	0.093	0.093	
			633	0.308	0.308	
			634	0.012	0.012	
			635	0.061	0.061	
			639	0.049	0.049	
			640	0.049	0.049	
			645	0.304	0.304	
			646	0.040	0.040	
			18	2.637	2.182	
58	श्रीप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/14 हि०, मलखान तनय जानकी लोधी 1/14 हि०, चतुर तनय जानकी लोधी 1/14 हि०, किशन तनय जानकी लोधी 1/14 हि० गुलाबबाई पत्नि मलखान 1/14 हि०, भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/14, करई पत्नि चतुर लोधी 1/14 हि०, नत्थू तनय स्वामी लोधी 1/6 भाग, राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/6 हि०, जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				

1	2	3	4	5	6	7
			616	0.121	0.121	
			619	0.478	0.478	
			648	0.020	0.020	
			650	0.008	0.008	
			651	0.227	0.227	
			<b>5</b>	<b>0.854</b>	<b>0.854</b>	
59	स्वामीप्रसाद तनय पृथ्वी 1/3 हि०, श्रीप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/18, दशरथप्रसाद तनय जानकी लोधी 1/18 भाग, मलखान तनय जानकी लोधी 1/18 हि० चतुर तनय जानकी लोधी 1/18 भाग, किशन तनय जानकी 1/18 हि०, सीताबाई बेबा जानकी लोधी 1/18 हि० चन्नु जगन्नाथ तनय प्यारेलाल 1/6 भाग, देशू सरजू तनय सुन्ना लोधी 1/24 भाग, मिल्लाबाई पुत्री सुन्ना लोधी 1/24 हि०, श्यामबाई पुत्री सुन्ना लोधी 1/24 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			636	0.360	0.360	
			637	0.028	0.028	
			638	0.049	0.049	
			<b>3</b>	<b>0.437</b>	<b>0.437</b>	
60	मु. मेंदाबाई बेबा अर्जुन सिंह, सोवरन सिंह, लक्ष्मन सिंह, प्रमोद सिंह तनय अर्जुन सिंह, मानसिंह तनय बाबूलाल यादव हि० 11/12, कृपाल सिंह तनय रामकिशन यादव 1/24 हि० भाग, वीरेन्द्र सिंह तनय रामकिशन यादव 1/24 हि० देवीनगर	स्वामित्व				
			652	0.700	0.550	
			653	0.097	0.097	
			654	0.024	0.024	
			655	0.174	0.174	
			656	0.125	0.125	
			657	0.158	0.158	
			658	0.053	0.053	
			659	0.214	0.214	
			660	0.069	0.069	
			661	0.028	0.028	
			662	0.146	0.146	
			663	0.036	0.036	
			664	0.032	0.032	
			665	0.053	0.053	
			666	0.243	0.243	
			667	0.223	0.223	
			668	0.004	0.004	
			<b>17</b>	<b>2.379</b>	<b>2.229</b>	

1	2	3	4	5	6	7
61	मोहन तनय रामप्रसाद, सुकनंदी तनय बारेलाल, शीला पुत्री मुन्शी, भगुन्ती बेबा मकुन्दी 1/2 भाग, रामबगस तनय बाबू 1/2 हि०, दयाराम तनय हिम्मा लोधी	स्वामित्व				
			703	0.332	0.062	
			702	0.057	0.057	
			2	0.389	0.119	
62	तिज्जू तनय मोहन, रामबगस तनय बाबू 1/2 हि० दयाराम तनय हिम्मा, मु. भगुन्ती बेबा मकुन्दी, जालम, धर्मदास, विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/2 हि० जाति लोधी, मु. लछिया बेबा मुन्शी, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम तनय मुंशी, मुलिया रामप्यारी पुत्री पर्वत, हल्कू तनय पर्वत जाति लोधी	स्वामित्व				
			1431/695	0.125	0.125	
			1	0.125	0.125	
63	दयाराम तनय हिम्मा 1/8 हि०, भगुन्ती बेबा मकुन्दी 1/8 हि०, तिज्जू तनय मोहन 1/40 हि०, रामबगस तनय बाबू 1/8 हि०, शीला पुत्री मुंशी 1/8 हि० जालम तनय मकुन्दी 1/8 हि०, धर्मदास तनय मकुन्दी 1/8 हि०, विन्द्रा तनय मकुन्दी 1/8 हि०, छोटेलाल तनय मोहन 1/40 हि०, जगन तनय मोहन 1/40 हि०, पिररू पुत्री मोहन 1/40 हि० कमली पुत्री मोहन 1/40 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			693	0.065	0.065	
			673	0.125	0.125	
			674	0.142	0.042	
			669	0.166	0.166	
			670	0.097	0.097	
			671	0.020	0.020	
			672	0.040	0.040	
			675	0.219	0.219	
			676	0.182	0.182	
			677	0.093	0.093	
			678	0.247	0.247	
			679	0.024	0.024	
			680	0.016	0.016	
			681	0.287	0.287	
			683	0.194	0.194	
			687	0.109	0.109	
689	0.109	0.109				
	17	2.135	2.035			



1	2	3	4	5	6	7
64	कुन्दी तनय नथू 1/36 हि० जुगल तनय परम 1/36 हि० दयाराम तनय हिम्मा 1/18 हि० सुकनंदी तनय बारेलाल 1/18 हि० रामप्रसाद तनय जानकी 1/18 हि० रामबगस तनय बाबू 1/54 हि० शीला पुत्री मुंशी 1/9 हि०, दामोदर तनय सूका लोधी 1/6 हि०, प्यारे तनय दौलत 1/12 हि० जगदीश तनय बाबू 1/54 हि०, तुलसी तनय बाबू 1/54 हि० देशराज तनय परम 1/36 हि०, बृजबिहारी तनय परम 1/36 हि० भगवानदास तनय जानकी 1/18 हि०, देवीदास तनय नथू 1/36 हि०, हनुमत तनय नथू 1/36 हि०, लक्ष्मण तनय रामनाथ 1/12 हि०, छोटेलाल तनय मोहन 1/90 हि०, तिज्जू तनय मोहन 1/90 हि०, जगन तनय मोहन 1/90 भाग, पिररू पुत्री मोहन 1/90 हि०, कमली पिता मोहन 1/90 हि०, मु. हरबू बेबा जानकी 1/18 हि० भाग	स्वामित्व				
			1424/448	0.032	0.032	
			1	0.032	0.032	
65	दयाराम तनय हिम्मा 3/20 हि०, भगुनी बेबा मकुन्दी 1/16 हि०, तिज्जू तनय मोहन 3/100 हि०, रामबगस तनय बाबू 3/20 हि० शीला पुत्री मुन्शी 3/20 हि० जालम तनय मकुन्दी 1/16 हि०, धर्मदास तनय मकुन्दी 1/16 भाग, विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/16 हि० जगन तनय मोहन 3/100 हि०, छोटेलाल तनय मोहन 3/100 हि० पिररू तनय मोहन 3/100, कमली पुत्री मोहन 3/100 हि०, सुकनंदी तनय बारेलाल 3/20 भाग	स्वामित्व				
			685	0.178	0.178	
			688	0.053	0.053	
			691	0.065	0.065	
			692	0.368	0.318	
			694	0.287	0.287	
			696	0.016	0.016	
			697	0.065	0.065	
			7	1.032	0.982	
66	देशू तनय सुन्ना 1/12 हि. मु. भूरीबाई बेबा सरजू राममिलन मेहरबान तनय सरजू 5/24 हि. राजाराम तनय धनीराम 1/24 हि. मु. भगुन्ती बेबा मकुन्दी जालम धर्मदास विन्द्रावन तनय मकुन्दी 1/3 हि. बराबर मोहन तनय रामप्रसाद, रामबगस, जगदीश तुलसी तनय बाबू लोधी, शीला पुत्री मुंशी लोधी, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम तनय मुंशी, मु. लच्छीबाई बेबा मुंशी, हल्काई तनय पर्वत लोधी, दयाराम, नंदू, राजाराम तनय हिम्मा लोधी 4/15 हि० समान भाग, मु. मल्दी बेबा बारेलाल, सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/15 हि० समान भाग	स्वामित्व				
			698	1.121	0.211	
			700	0.352	0.020	
			2	1.473	0.231	

1	2	3	4	5	6	7
67	कुन्धी तनय नथू 5/576 हि०, दयाराम तनय हिम्मा 1/54 हि०, प्यारेलाल तनय दौलत 5/48 हि०, हरबू बेबा जानकी 5/72 हि०, लक्ष्मन तनय रामनाथ लोधी 5/48 हि०, दामोदर तनय सूका लोधी 5/24 हि०, जुगल तनय परम 5/144 हि०, देशराज तनय परम 5/144 हि०, बृजबिहारी तनय परम 5/144 हि०, पर्वत तनय रामप्रसाद 1/54 हि०, बारेलाल तनय रामप्रसाद 1/54 हि०, बाबू तनय रामप्रसाद 1/54 हि०, सुखनंदी तनय बारेलाल 1/18 हि०, नंदू तनय हिम्मा 1/54 हि० राजाराम तनय हिम्मा 1/54 हि० भागीरथ तनय रामप्रसाद 5/144 हि०, नंदकिशोर तनय रामप्रसाद 5/144 हि०, भगवत तनय भगवानदास 5/72 हि०, देवी तनय नथू 5/576 हि० हनुमत तनय नथू 5/576, जगत तनय नथू 15/576 करन तनय नथू 15/576 हि० मैदा पुत्री नथू 15/576 हि० लोधी निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			716	0.020	0.020	
			706	0.934	0.270	
			707	0.040	0.030	
			708	0.146	0.030	
			709	0.121	0.121	
			<b>5</b>	<b>1.261</b>	<b>0.471</b>	
68	नंदलाल गुमना हरीराम तनय भुनिया काछी हि. बराबर निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			788	0.069	0.069	
			<b>1</b>	<b>0.069</b>	<b>0.069</b>	
69	गुपला तनय बल्ला 1/2 हि. नंदलाल, गुमना, हरिराम तनय भुनिया काछी 1/2 हि. ग्रामी	स्वामित्व				
			791	0.255	0.255	
			<b>1</b>	<b>0.255</b>	<b>0.255</b>	
70	रज्जू तनय भगोला काछी, कन्हैया, घन्सू, दयाराम तनय तुलसी, मु. कन्डू बेबा तुलसी काछी	स्वामित्व				
			784	0.138	0.138	
			<b>1</b>	<b>0.138</b>	<b>0.138</b>	
71	दामोदर तनय सूका लोधी जाति लोधी निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			1119	0.518	0.130	
			<b>1</b>	<b>0.518</b>	<b>0.130</b>	
72	रामदयाल तनय झुतरे यादव	स्वामित्व				
			1122/1	0.405	0.405	
			<b>1</b>	<b>0.405</b>	<b>0.405</b>	
73	लाली, उददी तनय रट्टी, आशाराम, धर्मदास तनय ननोई जाति बसोर, मु. नन्नीबाई बेबा छक्की उर्फ कल्लू अनंतराम, काशीराम, भागीरथ तनय छक्की उर्फ कल्लू जाति बसोर निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			1128	0.227	0.227	
			1129	0.101	0.101	
			<b>2</b>	<b>0.328</b>	<b>0.328</b>	

1	2	3	4	5	6	7
74	मूलश्रद्ध ज. जीवन तनय चतुर्भुज जाति चमार नि. बैसा ऊगढ़ हि. बराबर	स्वामित्व				
			1136	1.036	0.112	
			1	1.036	0.112	
75	चतुर्भुज तनय मनुवा चमार नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			1137	0.328	0.170	
			1138	0.417	0.347	
			2	0.745	0.517	
76	बिहारी भगताराम तनय कुर्षी जाति लोधी नि.ग्रामी	स्वामित्व				
			1140	0.454	0.310	
			1170	0.587	0.507	
			2	1.041	0.817	
77	घन्सू तनय झुल्ली नाई 1/4 हि0 रामदास तनय झुल्ली 1/4 हि0 नाई, कांटीबाई बेबा चिन्तू नाई 1/14 हि0 मुन्ना तनय चिन्तू 1/14 बबलू तनय चिन्तू नाई 1/14 भाग, कुसला बेबा जागेश्वर हि0 1/42 हि0 जाहर तनय जागेश्वर नाई 1/42 अर्जुनप्रसाद तनय जागेश्वर, विद्या पुत्री चिन्तू नाई हि0 1/14, गुडडी पुत्री चिन्तू नाई 1/14 हि0, राधा पुत्री चिन्तू नाई निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			1142	0.194	0.035	
			1149/1	0.093	0.040	
			2	0.287	0.075	
78	सरजू तनय सुन्ना लोधी 1/6 हि0, मिल्ला श्यामबाई पुत्री सुन्ना लोधी 1/3 हि0, शोभाराम पुत्र देशू 5/6 हि0, श्रीबाई पुत्री देशू लोधी 1/6 हि0 फूलाबाई बेबा देशजू लोधी 1/6 हि0	स्वामित्व				
			1149/2	0.178	0.100	
			1	0.178	0.100	
79	मु. सरजू बेबा मलखान सौर 1/3 हि0, करिया, काशीराम तनय मलखान 2/3 हि0 ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			1167	0.364	0.045	
			1	0.364	0.045	
80	मुन्नालाल तनय मलखान यादव नि. देवीनगर	स्वामित्व				
			1174	0.299	0.040	
			1172/2	0.752	0.700	
			2	1.051	0.740	
81	श्यामलाल तनय हल्काई सौर नि. ग्रामी	स्वामित्व				
			1175	0.117	0.117	
			1176/2	0.288	0.138	
			2	0.405	0.255	

1	2	3	4	5	6	7
82	श्यामलाल रामय हल्कैया सौर 1/2 हि. दयाराम नन्नेभैया त. चुखरा गड़रिया 1/4 हि. कन्नू बबलू खुमना पवन तनय बालचरन 1/4 हि0 बरा.ग्रामी	स्वामित्व				
			1239	0.109	0.109	
			1238	0.032	0.032	
			1183	0.020	0.020	
			1177	0.360	0.360	
			1180	0.279	0.229	
			1184	0.085	0.060	
			1237	0.263	0.208	
			8	1.148	1.018	
83	कन्नू बबलू तनय बालचन्द्र गड़रिया 1/2 हि0 खुमना पवन तनय बालचन्द्र गड़रिया 1/2 हि0 नि.ग्रामी	स्वामित्व				
			1185	0.089	0.035	
			1	0.089	0.035	
84	खुमनी बेबा छत्ता ढीमर 1/10 हि0 नि. देवीनगर, भगवानदास राममिलन तनय छत्ता 1/5 हि. प्रेमनारायण, बबलू तनय छत्ता 1/5 हि0, हल्काई त. दुर्जूवा 1/2 हि. जाति ढीमर निवासी देवीनगर	स्वामित्व				
			1250	0.223	0.190	
			1253	0.692	0.692	
			2	0.915	0.882	
85	हल्काई तनय दुर्जूवा, धर्मदास बाबुलाल रामचरन मौनलाल तनय लम्पू जाति ढीमर 1/2 हि0 समान भाग, श्रीमती खुमनी बेबा छत्ता, भगवानदास, राममिलन, प्रेमनारायण, बबलू तनय छत्ता 1/2 हि0 समान भाग नि. देवीनगर भूमि.	स्वामित्व				
			1253/1	0.327	0.120	
			1	0.327	0.120	
86	धर्मदास, बाबूलाल, रामचरन, मौनलाल तनय लम्पू भगवानदास, राममिलन, प्रेमनारायण, बबलू तनय छत्ता, हल्काई तनय दुर्जूवा ढीमर नि. देवीनगर	स्वामित्व				
			1255	0.769	0.769	
			1258	0.312	0.312	
			1258/1	1.088	1.088	
			3	2.169	2.169	
87	लल्लू तनय लछुवा सौर निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			1241	0.388	0.288	
			1243	0.279	0.279	
			2	0.667	0.567	
88	भगुन्ती बेबा मकुन्दी लोधी 1/4 हि0, जालम तनय मकुन्दी 1/4 हि0, धर्मदास तनय मकुन्दी लोधी 1/4 हि0, विन्द्रावन तनय मकुन्दी लोधी 1/4 हि0 निवासी ग्रामी भूमि	स्वामित्व				

1	2	3	4	5	6	7
			1244	0.409	0.359	
			1247	0.142	0.140	
			1247/1	0.154	0.150	
			3	0.705	0.649	
89	रामकिशन तनय श्यामलाल यादव नि. देवीनगर	स्वामित्व				
			1246/1	0.809	0.466	
			1	0.809	0.466	
90	जालम धर्मदास विन्द्रावन तनय मकुन्दी लोधी नि.ग्रामी	स्वामित्व				
			1246/2	0.809	0.466	
			1	0.809	0.466	
91	ओमप्रकाश अशोक तनय चतुर्भुज यादव नि.ग्रामी भूमि	स्वामित्व				
			1246/3	2.405	0.468	
			1	2.405	0.468	
92	शीला पुत्री रामसिंह यादव 1/2 हि०, रामदेवी पुत्री रामसिंह यादव 1/2 हि० निवासी देवीनगर	स्वामित्व				
			1260	1.019	0.984	
			1	1.019	0.984	
93	गुपला तनय जलमा चमार 1/2 हि० भगवाना तनय जलमा चमार 1/2 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			1351/1	0.405	0.140	
			1	0.405	0.140	
94	जानकी तनय चतुर्भुज अहिरवार नि. बैसा ऊगढ़	स्वामित्व				
			1351/2	0.809	0.100	
			1	0.809	0.100	
95	भगवानदास राममिलन तनय छत्ता ढीमर 1/4 हि०, प्रेमलाल बल्लू तनय छत्ता 1/4 हि. परमलाल गोरेलाल जमना तनय हल्काई 1/2 हि. ढीमर निवासी देवीनगर	स्वामित्व				
			1248	0.312	0.312	
			1	0.312	0.312	
96	उद्दी तनय रट्ठी बसोर 1/2 हि०, आशाराम, धर्मदास तनय ननोई बसोर 1/2 हि० नि.ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			1188	0.401	0.070	
			1	0.401	0.070	
97	किशन, मातादीन तनय मल्ला अहिरवार 1/4 हि०, भग्गू कसिया तनय सरमना 1/4 हि०, अनंदी उर्फ भूरी पुत्र भइयन 1/4 हि०, रचकू पत्नि मोहनलाल अहिरवार 1/4 हि०. निवासी बैसा	स्वामित्व				
			157	0.129	0.010	
			1	0.129	0.010	

1	2	3	4	5	6	7
98	श्रीरामदास तनय जानकी लोधी 1/14 हि., मलखान तनय जानकी लोधी 1/14 हि, चतुर तनय जानकी लोधी 1/14 हि, किशन तनय जानकी लोधी 1/14 हि., गुलाबबाई पत्नि मलखान लोधी 1/14 हि०, भुमानीबाई पत्नि किशन लोधी 1/14 हि० करई पत्नि चतुर लोधी 1/14 हि०, नत्थू तनय स्वामी लोधी 1/6 हि०, राजाराम तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० जगदीश तनय स्वामी लोधी 1/6 हि० निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			632	0.125	0.125	
			641	0.028	0.028	
			642	0.555	0.555	
			643	0.117	0.117	
			644	0.146	0.146	
			647	3.411	3.411	
			6	4.382	4.382	
99	धर्मदास, बाबूलाल तनय लम्पू ढीमर 1/4 हि०, रामचरन, मौनलाल तनय लम्पू 1/4 हि०, हल्काई तनय दुर्जुवा ढीमर 1/2 हि० निवासी देवीनगर	स्वामित्व				
			1259/1	0.275	0.275	
			1259/2	0.607	0.607	
			2	0.882	0.882	
100	जनका पुत्र कुन्ना 1/4 भाग, हल्का पुत्र कुन्ना 1/4 भाग, नन्ने पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, चुन्नी पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, फुल्लू पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, छननू पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, छिदामी पुत्र अयोध्या 1/12 भाग, अनन्दी पुत्र अयोध्या 1/12 भाग जाति काछी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	स्वामित्व				
			84/1	0.283	0.015	
			83/1	0.615	0.060	
			85	1.263	0.060	
			86	0.186	0.015	
			4	2.347	0.150	

1	2	3	4	5	6	7
101	शीला पुत्री मुन्शी, चिन्ताराम, धनीराम, हरीराम तनय मुन्शी, लच्छीबाई बेबा मुंशी हि० 1/10 भाग, हल्काई तनय पर्वत लोधी हि. 1/10, सुकनंदी तनय बारेलाल लोधी 1/5 हि०, दयाराम, नंदू, राजाराम तनय हिम्मा 1/5 हि०, रामबगस, जगदीश, तुलसी तनय बाबू लोधी 1/5 हि० छोटेलाल, जगन, तिजू तनय मोहन लोधी, पिरू, कमली पुत्री मोहन जाति लोधी 1/5 हि० निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			91/1	0.466	0.030	
			1	0.466	0.030	
102	हनुमत पुत्र नथू 4/25 हि०, मु. लच्छीबाई बेबा मुंशी 7/250 हि०, रामबगस, जगदीश, तुलसी पुत्र बाबू 1/5 हि०, शीला पुत्री मुंशी 7/250 हि०, दयाराम नंदू, राजाराम पुत्र हिम्मा 1/5 हि०, मु. मल्दी बेबा बारेलाल संखनंदी पुत्र बारेलाल, 1/10 भाग, चिन्तामन, धनीराम, हरीराम पुत्र मुंशी 21/250 हि०, छोटेलाल, जगन, तिजू पुत्र मोहन, पिरू, कमली पुत्र मोहन 1/5 हि० जाति लोधी निवासी ग्रामी	स्वामित्व				
			90/3	0.466	0.030	
			1	0.466	0.030	
103						
			90/4	0.470	0.030	
			1	0.470	0.030	
104	जनका पुत्र कुन्ना 1/2 हि०, हल्का पुत्र कुन्ना 1/2 हि० जाति काछी निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			89/1	0.433	0.200	
			1	0.433	0.200	
105	रामप्रसाद पुत्र रामचरन 1/8 हि०, रामदीन पुत्र दशरथ 5/48 हि०, रमलू पुत्र दशरथ 5/48 हि०, कल्लूबाई बेबा दशरथ 1/24 हि०, देवेन्द्रकुमार पुत्र रामप्रसाद 1/32 हि०, प्रिंस पुत्र रामप्रसाद 1/32 हि०, देवेन्द्र पुत्र रामप्रसाद लोधी ना.बा. प्रिंस पुत्र रामप्रसाद लोधी संरक्षक पिता 1/16 हि०, बिहारी पुत्र कुरी लोधी 1/4 हि०, भगताराम पुत्र कुरी लोधी 1/4 हि० निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	स्वामित्व				
			872	0.040	0.040	
			1	0.040	0.040	
	योग-		348	101.253	76.991	

क्र.-2-अ-82-21-22

दिनांक 1 अप्रैल, 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

**अधिसूचना**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	सुजानपुरा तालाब योजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	टीकमगढ़
2. तहसील	:	बल्देवगढ़
3. ग्राम	:	देवीनगर
4. प.ह.नं.	:	04
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	3.950 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मु. मैदाबाई बेबा अर्जुनसिंह, सोवरन सिंह, लक्ष्मन सिंह तनय अर्जुन सिंह, पवन तनय प्रमोद सिंह, मानसिंह तनय बाबूलाल 8/9 हि 0 बराबर श्रीमती लाडकुंवर पत्नी रामकिशन यादव 1/9 हि. निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1/3	8.491	3.950	
	योग-		1	8.491	3.950	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है। अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपरिथत होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्र.-3-अ-82-21-22

दिनांक 1 अप्रैल, 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21)

**अधिसूचना**

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	<b>सुजानपुरा तालाब योजना</b>
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	<b>टीकमगढ़</b>
2. तहसील	:	<b>बल्देवगढ़</b>
3. ग्राम	:	<b>सुजानपुरा खास (स्पिल चैनल)</b>
4. प.ह.नं.	:	<b>00026</b>
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	<b>4.561 हेक्टेयर</b>

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हरचरन हरदयाल हरगोविन्द तनय अड्कू 1/2 हि. बरा. हरनारायण राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास हि. 1/4 बरा. रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. जाति यादव भूमिग्रामी भूरा. 0.37	भूमिस्वामी	2042	0.518	0.518	
			1	0.518	0.518	
2	नल्थू तनय गब्दा, मु. कंचनबाई बेबा बाबू बृजलाल किशोरी हल्के तनय बाबू गुडडी, कस्तूरी, रामा, लच्छी पुत्री बाबू जाति धोबी 1/6 हि० समान भाग, बुद्धा प्रागी तनय गड्डुवा 1/6 हि० बरा., छिद्दू मुन्ना, नाथूराम कमली तनय उत्तम 1/3 हि० समान भाग, सरजुवा तनय पंखुवा 1/6 हि. बराबर मु. नन्नी बेबा धांदू हरिया तनय धांदू भागवती विपदा गनेशी नन्नी पुत्री धांदू 6/42 हि., हरिया तनय धांदू 1/42 हि. जाति धोबी भूमि ग्रामी	भूमिस्वामी	2043	1.923	1.294	
			2047	0.494	0.247	
			2046	0.222	0.042	
			2041	0.607	0.082	
			4	3.246	1.665	

1	2	3	4	5	6	7
3	रामसहाय तनय कामता यादव निवासी ग्रामी	भूमिस्वामी	2053	1.453	0.690	
			1	1.453	0.690	
4	रामसहाय पुत्र कामता 1/2 हि०, जुग्गू पुत्र लपट 1/4 हि० भजनलाल, जगताराम पुत्र नथुवा 1/4 हि० निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2064	0.016	0.016	
			2065	0.077	0.077	
			2	0.093	0.093	
5	रामसहाय तनय कामता जाति अहीर 1/2 हि. जुग्गू तनय लपट अहीर 1/4 हि. भजनलाल, जगताराम तनय नथुवा जाति अहीर 1/4 हि. भूमि ग्रामी	भूमिस्वामी	2057	0.109	0.109	
			2058	0.032	0.032	
			2068	0.753	0.090	
			2059	0.304	0.304	
			2060	0.049	0.049	
			2062	0.316	0.102	
			2061	0.065	0.040	
			7	1.628	0.726	
6	जुग्गू तनय लपट यादव 1/2 हि०, भजनलाल, जगताराम तनय नथुवा यादव 1/2 हि० भूमिग्रामी	भूमिस्वामी	2055	0.154	0.084	
			2056	0.672	0.061	
			2	0.826	0.145	
7	जमनाप्रसाद तनय कामताप्रसाद यादव भूमि ग्रामी	भूमिस्वामी	2162	0.409	0.307	
			1	0.409	0.307	
8	रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. हरिनारायण, राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा. हरदयाल तनय अड़कू 1/2 हि. जाति अहीर भूमि ग्रामी	भूमिस्वामी	2167	2.367	0.162	
			2168	0.166	0.166	
			2	2.533	0.328	
9	रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. हरिनारायण राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा. हरगोविन्द तनय अड़कू 1/2 हि. जाति अहीर भूमिग्रामी	भूमिस्वामी	2169	0.049	0.049	
			2	0.049	0.049	

1	2	3	4	5	6	7
10	हरचरन, हरदयाल, हरगोविन्द तनय अड़कू 1/2 हि. बरा. भूमिस्वामी हरनारायण, राजनारायण तनय बैनीदास हरबाई पुत्री बैनीदास 1/4 हि. बरा. रामेश्वर तनय धमोले 1/4 हि. जाति यादव भूमिग्रामी भूरा. 5.75					
			2170	0.668	0.040	
			1	0.668	0.040	
			22	11.970	4.561	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. -71-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-2310

सागर, दिनांक 30 मार्च 2022

भौजा दरकोली पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ़

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू क -2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.-2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 298 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-

बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल

सागर  
राहतगढ़  
दरकोली  
10  
106.991 हे.

:: अनुसूची ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा हे० में	अर्जित भूमि (रकवा हे० में)	शेष रकवा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धन्नु बल्द वारेलाल गुलाब बाई मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	2.430	2.159	0.271	
			84	0.610	0.305	0.305	
2	राजाराम पिता हरचंद पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर. म०प्र० संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/1	0.200	0.200	0.000	
3	नरान बल्द शोभाराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/2	0.210	0.150	0.060	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	दौलत पिता शोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	0.620	0.100	0.520	
5	पूरन पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रामलाल पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपी पुत्र भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री भैयालाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101	0.750	0.250	0.500	
6	शिवनारायण बल्द जयसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/1	1.420	1.420	0.000	
			200/1	0.720	0.720	0.000	
7	गोविन्द बल्द जैसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/2	0.360	0.360	0.000	
			200/2	0.730	0.730	0.000	
8	रामलाल बल्द भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/1	0.570	0.570	0.000	
9	पूरन पिता भैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/2	0.260	0.260	0.000	
10	रघुवीर प्रसाद बल्द हरदयाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	1.760	0.400	1.360	
			233/1	1.790	1.790	0.000	
11	अरविन्द कुमार बल्द रघुवीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/2	0.880	0.480	0.400	
			105	2.030	2.030	0.000	
			106	0.120	0.120	0.000	
			108/1	0.960	0.960	0.000	
12	गोर्वाधन तुलाराम हरीराम पिता जोरावल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.900	0.900	0.000	
13	सुरेन्द्र कुमार बल्द रघुवीर पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108/2	1.600	1.600	0.000	
			110	2.000	2.000	0.000	
			116	0.320	0.320	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	राकेश जगदीश सुरेन्द्र पिता सीताराम निर्मला पुत्री सीताराम शांतिबाई बेवा सीताराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	1.130	1.130	0.000	
15	दुरग पिता नंदा पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/1	0.160	0.160	0.000	
16	जमना पिता पूरनसींग पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/2	0.320	0.320	0.000	
17	बाबूसींग चैनसींग पिता कन्हेदीलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/1	1.040	1.040	0.000	
18	दरयावसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113/2	0.400	0.400	0.000	
19	भारतसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/1	0.400	0.400	0.000	
20	लखनसिंह पिता राजाराम पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/2	0.030	0.030	0.000	
			121	0.370	0.370	0.000	
21	प्यारीबाई बेवा राजाराम पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/3	0.120	0.120	0.000	
22	सरवन पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी खूबा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्र तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री तुलाराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.270	0.270	0.000	
			119	0.370	0.370	0.000	
23	प्रेमसींग पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/1	0.160	0.160	0.000	
24	प्रभू पिता मनमोहन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/2	0.150	0.150	0.000	
25	दीपनारायण नरेश ना.वा. बल्द व वली प्रभू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122	0.160	0.160	0.000	
26	प्रभाबाई पुत्री इमरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	0.350	0.350	0.000	
27	नाथूराम छोटेला पिस. कन्हैयालाल प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/1	0.100	0.100	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/2	0.100	0.100	0.000	
29	कन्छेदी बल्द श्यामलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.320	0.320	0.000	
			128/2	0.330	0.330	0.000	
30	अब्दुलफहीम बल्द अब्दुल शहीद पता सा. ओसानखेडी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.110	1.110	0.000	
31	कृपाराम पिता अनंतराम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	128/1	1.380	1.380	0.000	
32	दयाराम बल्द हरीनारायण पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129	1.590	1.590	0.000	
			221	0.180	0.180	0.000	
33	मुन्नासिंह पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	0.250	0.250	0.000	
			215	1.930	1.930	0.000	
34	पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिंह पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131	0.300	0.300	0.000	
			227	1.310	1.310	0.000	
35	कुन्दनसींग पिता बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	1.620	1.620	0.000	
			135/2	0.200	0.200	0.000	
36	श्रीबाई पुत्री बिहारी पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/2	1.220	1.220	0.000	
37	रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134	2.180	2.180	0.000	
38	दिनेश पिता कुन्दन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135/1	1.980	1.980	0.000	
39	गोवर्धन पिता छतरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/1	0.970	0.970	0.000	
			213/1	2.320	2.320	0.000	
			214/1	0.150	0.150	0.000	
40	गुलाब पिता छतरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/2	0.970	0.970	0.000	
			213/2	1.610	1.610	0.000	
			214/2	0.160	0.160	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
41	प्रेमबाई बेवा छत्तरसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/3	0.650	0.650	0.000	
			219/7	0.140	0.140	0.000	
42	तुलाराम बल्द परम पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	137/1	0.340	0.340	0.000	
			137/2	0.350	0.350	0.000	
43	हरीराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी नेतराम पुत्र कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी परमोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी लच्छोबाई पुत्री कम्मोद पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	138	0.540	0.540	0.000	
			211	0.930	0.930	0.000	
44	पुतरोबाई बेवा सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी मंजू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी ओमकार पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी दामोदर पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी राजू पुत्र मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी अन्नो पुत्री मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी सूरजबाई बेवा मुलू पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/55 भाग भूमिस्वामी घंसू पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी हल्के पुत्र सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी कुअरबाई पुत्री सुखलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री फुल्ला पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/11 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	139	0.530	0.530	0.000	
			212	0.920	0.920	0.000	
45	सीताराम पि. प्यारेलाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.380	0.380	0.000	



1	2	3	4	5	6	7	8
46	हरिचंद पिता कलुआ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/1	0.800	0.560	0.240	
47	फुस्सा पिता धुन्धा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142	2.180	0.742	1.438	
48	छोटेलाल बल्द बैजनाथ पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	1.160	0.250	0.910	
49	परमलाल बल्द भगवानदास पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149	0.510	0.020	0.490	
			151/1	0.730	0.160	0.570	
50	सीताराम बल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151/2	1.460	0.460	1.000	
51	मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद इशाक पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152	0.750	0.300	0.450	
52	देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153/1	0.800	0.180	0.620	
53	छोटेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206/2	0.110	0.110	0.000	
54	प्यारेलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/2	0.640	0.090	0.550	
55	खुशीलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/3	0.650	0.290	0.360	
56	मानसींग पुत्र बल्ले पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205	0.460	0.460	0.000	
			206/1	0.190	0.190	0.000	
57	कुंजीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	2.760	0.860	1.900	
			203	0.750	0.750	0.000	
58	हुकुमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/1	1.150	0.625	0.525	
59	भीकम वल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/2	1.150	0.750	0.400	
60	अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196/1	4.170	0.860	3.310	

1	2	3	4	5	6	7	8
61	मु. आजम वल्द अब्दुल गफार खां पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/2	1.000	1.000	0.000	
			229/3	1.600	1.600	0.000	
			229/4	0.800	0.800	0.000	
62	कृष्णकांत पुत्र चैनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा चैनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी माया पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी मनीषा पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी शिवानी पुत्री चैनसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/1	0.850	0.850	0.000	
63	भारत सींग बल्द रामचरण पता सा. गावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/2	0.850	0.850	0.000	
64	राजाराम बल्द हरचंद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/1	0.880	0.880	0.000	
65	संतराम नाबा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/2	1.000	1.000	0.000	
66	मु. असद बल्द अब्दुल गफार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	200/3	0.710	0.710	0.000	
			201	1.310	1.310	0.000	
67	सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202	0.820	0.820	0.000	
68	जगदीश बल्द मुन्जा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.540	0.540	0.000	
69	पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208	0.150	0.150	0.000	
70	मनकुवंर पति परशोत्तम प्यारीबाई पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/1	1.160	1.160	0.000	
71	सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/2	0.360	0.360	0.000	
			209/3	0.800	0.800	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
72	मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.770	0.770	0.000	
73	परसराम वल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	0.770	0.770	0.000	
74	शारदाबाई पति मुन्नासिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	1.880	1.880	0.000	
75	अनवरशाह बल्द निशारशाह पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.170	1.170	0.000	
76	तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/1	0.600	0.600	0.000	
			219/1	0.600	0.600	0.000	
77	श्यामलाल पिता भोले पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.590	0.590	0.000	
78	रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/2	0.410	0.410	0.000	
			219/3	0.410	0.410	0.000	
			219/4	0.410	0.410	0.000	
			219/5	0.220	0.220	0.000	
			219/6	0.140	0.140	0.000	
79	रविशंकर पिता दिलीपसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	1.200	1.200	0.000	
80	हृदय पिता दिलीपसींग पता निवासी ग्राम खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/2	0.900	0.900	0.000	
			222/4	0.880	0.880	0.000	
			226	0.600	0.600	0.000	
81	कमलेश पिता दिलीप जाति लोधी पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/1/1	1.000	1.000	0.000	
82	लालचंद पिता कमलेश जाति लोधी पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/1/2	0.770	0.770	0.000	
83	केराबाई पत्नी कमलेश जाति लोधी पता खैजरामाफी राहतगढ़ सागर म0प्र0 संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/2	0.600	0.600	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
84	दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222/3	2.370	2.370	0.000	
85	माधव सींग वल्द तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/1	3.810	3.810	0.000	
86	महेश सींग पिता तीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/2	3.810	3.810	0.000	
87	बाबूलाल बल्द गुलाब पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	1.700	1.700	0.000	
88	तारा पुत्री श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/12 भाग भूमि स्वामी अनोप पुत्री हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/8 भाग भूमि स्वामी प्रहलाद पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/12 भाग भूमि स्वामी गन्धर्व पुत्र श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/12 भाग भूमि स्वामी ओमकार पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रनवीरसींग पुत्र रामसींग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रूपसिंग पुत्र हरनाम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/1	0.890	0.890	0.000	
89	कल्लू पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी रियाजा पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी इस्तयाज पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी इरशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी समशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी शायबा बी पुत्री मुहम्मदसलीम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० 1/13 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/2	0.440	0.440	0.000	
90	शोकत बल्द सखाबत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.700	0.700	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
91	रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	1.330	1.330	0.000	
92	कृष्णाबाई पति रघुवीर प्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233/2	1.790	1.790	0.000	
93	राकेश पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 संपूण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.670	0.670	0.000	
			237/1/2	1.390	1.390	0.000	
94	हरीशंकर बल्द अयोध्या प्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237/2	1.000	1.000	0.000	
95	इन्द्राज पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237/1/1	0.800	0.800	0.000	
			238	0.800	0.800	0.000	
96	हरीशंकर बल्द गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी अमानो बाई पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रुक्का बाई बेवा गोविन्ददास पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	240	0.770	0.770	0.000	
कुल योग			137	123.170	106.991	16.179	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक: 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवाकां, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**दीपक आर्य**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.